हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 सितम्बर, 1979

खंड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवायर, 24 सितम्बर, 1979

पृश्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(1) 1
प्र न काल	(1) 9
सदस्य का नाम लेना	(1) 11
बैठक का निलम्बन (सस्पैं ान)	(1) 11
सदस्य का नाम लेना	(1) 11
रूल 104 का निलम्बन तथा सर्वश्री गंगा राम और देवी लाल का निलम्बन	(1) 13
बैठक का निलम्बन	(1) 15
वाक–आउट	(1) 15
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(1) 18
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(1) 39
अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं–	
(1) सभापतियों की सूची	(1) 54
(2) पैटी ांज कमेटी	(1)54
(3) पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की चौदहवीं रिपोर्ट	(1) 54

सदन की मेज पर रखना	
व्यवस्था का प्र न	(1) 55
सचिव द्वारा घोशणा	(1) 55
बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1) 56
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(1) 59
स्थगन प्रस्ताव	(1) 62
दि हरियाणा कंटिनजैंसी फंड (अमैंडमैंट) बिल 1979	(1) 67
रूल 104 का निलम्बर तथा सर्वश्री संत कंवर और वीरेन्द्र सिंह का निलम्बन	(1) 73
बैठक का निलम्बन	(1) 74
निलम्बित सदस्यों का सदन के निर्णय के पालन हेतु सदन से बाहर जाना	(1) 75
बैठक का समय बढ़ाना	(1) 83
सदन की कार्यवाही को भाान्तिपूर्वक चलाने हेतु समझौता वार्ता के लिये बैठक का निलम्बन	(1) 83
सभी का स्थगन	(1) 83

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 24 सितम्बर, 1979

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चंडीगढ़ में 14... बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः साहेबान अब एक मन्त्री जी भाोक प्रस्ताव पे ा करेंगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद हमारे बीच में से बहुत सी महान आत्माएं और समाज सेवी विदा हो गये। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पिम करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

19 दिवंगत आत्माओं के सम्बन्ध में भाोक प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत है। मैं संक्षेप में इन महानुभावों को सदन की ओर से व अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

लार्ड माउंटबेटन भारत के अन्तिम वायसराय और स्वतन्त्र भारत के पहले गवर्नन जनरल थें यह एक मान यौद्धा तो

थे ही साथ ही इन्होंने भारत की जनता के प्रति जो स्नेह दिखया उससे इन्होंने हमारा दिल जीत लिया था। 27 अगस्त 1979 को एक भयानक बम विस्फोट से इनका अचानक निधन हो गया। हमारा दे ा लार्ड माउंटबेटन को सदा सम्मान और श्रद्धा से याद करेगा।

श्री कोठा रघुरमैया जो संसदीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री रहे हैं, 5 जून को स्वर्गवास हो गये। वे एक अनुभवी सांसद और अच्छे प्र ाासक थे। 1957 से 1974 तक वे भार सरकार के कई विभागों के मत्री रहे थे।

श्री बी0एस0 मूर्ति जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री थे, उनको 22 मई को निधन हो गया। वे आंध्र पद्रे ा के एक सुप्रसिद्ध समाज सेवी तथा जाने माने मजदूर नेता थे।

श्री वसन्त राव पी0 नायक जो महाराश्ट्र के मुख्य मंत्री थे 18 अगस्त को उनका स्वर्गवास हो गया। वे महाराश्ट्र जिले में एक छोटे से गांव में पैदा हुए। श्री वसन्त राव नायक 1951 से असैम्बली के सदस्य बने व कई विभागों का मन्त्री पद उन्होंने सम्भाला। 1963 में वे महाराश्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 12 साल की लम्बी अवधि तक उन्होंने बड़ी कु ालता और सूझबूझ के साथ कार्य किया जिसके फलस्वरूप महाराश्ट्र ने अभूतपूर्व औद्योगिक

तरक्की की। 1977 में वे लोकसभा के सदस्य चुने गये। उनके स्वर्गवास से दे ा को भारी क्षति हुई है।

श्री प्रणब चैटर्जी जो बिहार से राज्यसभा के सदस्य थे, इनका 2 जून को निधन हो गया। यह प्रमुख मजदूर नेता और समाज सेवक थे।

श्री ए0वी0पी0 असाईथाम्बी भूतपूर्व संसद सदस्य तामिलनाडु, 1946 मैं सामाजिक जीवन में आये और एक लम्बे समय तक राज्य असैम्बली के सदस्य रहे। 1977 में वे लौक सभा के लिये चुने गये। वे पत्रकार, ट्रेड यूनियन लीडर और अच्छे वक्ता थे। 7 अप्रैल को उनका स्वर्गवास हुआ।

श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई जो आंध्र प्रदे ा से लोक सभा की सदस्या थी, उनका निधन 2 जून को हुआ। अपने विद्यार्थी जीवन से ही वे स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाामिल हुई। 1952 में असैम्बली की सदस्या चुनी गई। वे बाद में लोक सभाा की सदस्या रहीं। समाज सेवा से उनको स्वाभाविक लगाव था।

श्री रेवती कान्त सिन्हा, भूतपूर्व संसद सदस्य का 19 मई को निधन हुआ। उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपना जीवन भाुरू किया पर बाद में वे राजनैतिक जीवन में आये और 1960 में वे राज्य सभा के सदस्य चुने गये। वे एक जाने माने ट्रेड यूनियन लीडर थे।

सरदार मोहन सिंह तुड़, भूतपूर्व संसद सदस्य का 30 जुलाई को निधन हुआ। 1942 में वे राजनीतिक जीवन में आयें और 1962 में वे अकाली दल के प्रधान चुने गये। 1972 से 1977 तक वे अकाली दल के प्रधान रहे। 1977 में वे तरन तारन से लोकसभा के सदस्य चुने गयें पंजाब के नेताओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान है और उनके निधन से दे ा को भारी क्षति हुई है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती, भूतपूर्व संसद सदस्य का 1 सितम्बर को स्वर्गवास हुआ। सिद्धान्ती जी का जन्म रोहतक जिले के बरहाना गांव में 5 अक्तूबर 1900 को हुआ था। हिन्दी भाशा व प्राचीन हिन्दू संस्कृति से सिद्धान्ती जी को बहुत लगाव था। उन्होंने अपना सारा जीवन एक ऐसे समाज की रचना करने में लगाया जहां जाति और वर्ग का भेदभाव न हो, ऊंच नीच की भावना न हो और जहां मनुश्य हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को ढाले। वे 1962 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। इनके निधन से एक सच्चा दे ा भगत और एक महान आत्मा हमारे बीच से उठ गई है।

श्री अन्ना साहब मागर, भूतपूर्व संसद सदस्य, एक किसान नेता और समाज सेवी थे। वे एक लम्बी अवधि तक महाराश्ट्र असैम्बली के सदस्य रहे और 1977 में लोकसभा के लिये चुने गये। उनका स्वर्गवास 25 जून को हुआ।

श्री मंगल देव वि ाारद, भूतपर्वू संसद सदस्य, जो उत्तर प्रदे ा के दलित वर्ग के एक अग्रणी नेता थे, राज्य असैम्बली के सदस्य और मंत्री रहे थे और 1977 में लोक सभा के लिये चुनें गये थें इनका निधन 30 जुलाइ को हुआ।

श्री देव राज आनन्द जो हमारे राज्य के भूतपूर्व मंत्री रहे हैं का 11 जून को स्वर्गवास हुआ। उनका जन्म 1906 में रावलपिंडी में हुआ। वे रावलपिंडी म्यूनिसिपल एक लोक प्रिय नेता थे जिन्होंने लम्बे समय तक समाज सेवा की।

जत्थेदार इन्द्र सिंह लहरी का निधन 1 अप्रैल को हुआ। वे अकाली दल के लीडर थे और पैप्सू असैम्बली और पंजाब असैम्बली के सदस्य रहे थे।

श्री पाल सिंह रूमी, जो एक स्वतन्त्रता सेनानी थी और 1957 से पंजाब असैम्बली के सदस्य रहे थे, इनका निधन 22 मई को हुआ।

श्री हरि राम जो हिमाचल प्रदे ा के भूतपूर्व मंत्री थे एक स्वतन्त्रता सेनानी भी रहे हैं और 1952 से पंजाब असैम्बली के सदस्य भी रहे तथा पंजाब में पहाड़ी इलाकों के मन्त्री भी रहे। इनका निधन 18 जून को हो गया।

डा0 हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी भाशा के महान लेखकर हुये हैं। इनका 19 मई को स्वर्गवास हो गया। इन्होंने भाान्ति निकेतन, बनारस हिन्दु वि ववविद्यालय और पंजाब

वि वविद्यालय में ि ाक्षा दी और अपना सारा जीवन हमारी मातृभाशा हिन्दी की सेवा में लगा दिया।

ज्ञानी भाादी सिंह का निधन 25 अप्रैल को हुआ वे जालन्धर के अकाली पत्रिका के मुख्य सम्पादक थे। उन्होंने पत्रकारित में अपना ऊंचा स्थान बनाया।

राजा महेन्द्र प्रताप जो एक महान दे ा भगत और प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थी, उनका 29 अप्रैल को स्वर्गवास हुआ वे हाथरस के राजा द्वारा लिये गये थे पर उन्होंने ऐ ाो आराम की जिन्दगी का तयाग करके हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और भारत माता की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे स्वयं बड़ी सम्पति और जमीन के मालिक थे पर उन्होंने जमीदारा प्रथा का समाप्त कराने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दे ा की आजदी के लिये वे अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन आदि दे ाों में घूम घूक कर कार्य करते रहे। 1957 में वे लोक सभा के सदस्य भी चुने गये पर 1962 में इन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया। इस महान दे ा भगत के निधन से दे ा ने एक अनमोल हीरा खो दिया है।

मेरा सदन से अनुरोघ है कि यह सारे भाोक प्रस्ताव पाए करें और इन सभी दिवंगतों के परिवारों के सदस्यों को हमारी हार्दिक संवेदना भेजें।

चौधरी देवी लाल (भट्टू कलां): स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान की बड़ी भारी मकान हस्तियां जो हम से जुदा हो गई हैं, उनकै सम्बन्ध में जो भाोक प्रस्ताव लीडर आफ दि हाउस ने पे ा किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि लार्ड माउंटबेटन जिनकी इस हालत में मृत्यु हुई है। वे हमारे हिन्दुस्तान को आजाद कराने वाले पहले वायसराय थे। उनके हिन्दुस्तान के साि बहुत अच्छे सम्बन्ध थें उनके अलावा और भी बहुत सी महान हस्तियां हैं जिन्होंने दे ा की बड़ी खिदमत की है। इसके साथ साथ कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं जिनके साथ मिल करके हमने काम भी किया और दे ा की आजादी की लड़ाई भी लड़ी। उन में से श्री मोहन सिंह तुड़ ऐसे व्यक्ति थे जो असैम्बली के मैम्बर रहे। वे हमारे साथी थे। उन्होंने रचनात्मक कार्य करके दे ा का अच्छा नक ाा बनाया आज दे ा के किसानों में जो जागृति आई है, उस जागृति को लाने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई, उसमें इनका सबसे पहला स्थान है। जैसे एमरजेंसी के समय दे ा में अराजकता का आतंक फैला हुआ था और किसी को जलसा करने की भी इजाजत नहीं थी। किसान लोग फरियाद करते थे कि उनकी जिन्स के भाव कौस्ट आफ प्रोडक ान के हिसाब से दिए जाएं भाव बढ़वाने के लिए जब वे किसी किसम की कान्फ्रैंन्स करना चाहते थे तो जलसे नहीं होने दिए जाते थे। ऐसे माहौल में इन्होंने उस आतंक का मुकाबला किया और करनाल मोर्चे में हमारे सामने आये और गिरफ्तार हुए। इसका असर यह हुआ कि हमारी सरकार को दफा 144 वापिस

लेनी पड़ी। इसके बाद वे इलैक ान लड़ने के लिये खड़े हुए और बड़े भारी बहुमत से कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद उनकी मृत्यु उन हालात में हुई जब दे ा को उनकी बड़ी जरूरत थी। उस समय सरकार इस ढंग से चल रही थी जो देहात के लोगों की तरफ किसानों की मु कलातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। किसानों की बहबूदी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चौधरी चरण सिंह को स्पोर्ट करने के लिये, बीमारी की हालत में भी उनका साथ दिया। आज वे हमसे अलग हो गए हैं, इसका हमें बहुत अफसोस है।

इनके साथ ही जत्थेदार इन्द्र सिंह लहरी, जो पंजाब में हमारे साथ एम0एल0ए0 थे, का स्वर्गवास हो गया। उन दिनों उस वक्त की सरकार के खिलाफ हमने जो मिलकर संघर्श किया था उसमें इन्होंने हमारा साथ दिया था और कई बार जेलों में गये।

इसी प्रकार श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती का स्वर्गवास हो गया वे पार्लियामैंट के भूतपूर्व सदस्य थे। उन दिनों जरूरत इस बात की थी कि हरियाणा बने। उन दिनों कांग्रेस के अन्दरूनी फूट पैदा हो गई। स्पीकर साहब, आप हैरान होंगे कि उस वक्त हरियाणा से पार्लियामैंट के 8 मैम्बर थे जिनमें से 5 अपोजी ान के मैंबर कामयाब हुए थे जिनमें एक सिद्धान्ती भी थे जिन्होंने हरियाणा राज्य बनाने में हमारा साथ दिया था। आज वे हमारे बीच नहीं हैं हमसे जुदा हों गए हैं जिसका हमें बहुत अफसोस है।

इसी तरह श्री देवराज आनन्द आज हमारे बीच नहीं हैं। पार्टी ान के बाद वे अम्बाला में बसे। आजादी की लड़ाई में वे हिस्सा लेते रहे। उन दिनों जो लीडर सरहद पर, का मीर में जाया करते थे, उनके स्वागत में वे मेजबान का रोल अदा करते थे। ऐसे हालात में ऐसा काम करना कोई साधारण बात नहीं थी। पार्टीशन के बाद उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इलैक ान लड़ा और कामयाब हुए। वे पंजाब और हरियाणा की सरकारों में वजीर भी रहे, लेकिन आज वे हमारे साथ नहीं है। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है।

इनके इलावा, श्री पाल सिंह रूमी का पिछले दिनों देहान्ता हो गया। वे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। वे फ्रीडम फाइटर थे और असैम्बली के मैंबर भी रहे। कांग्रेस पार्टी में रहकर वे बड़े लम्बे अर्से तक दे ा की आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आज वे हम से जुदा हो गए हैं, हमें इसका बहुत अफसास है।

इसी प्रकार श्री हरी राम जी आज हमारे बीच नहीं हैं। ये हिमाचल प्रदे ा से ताल्लुक रखते थे और कांगड़ा जिला के निवासी थे। जब हम हरियाणा बनाने के लिये लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होनें हमारा साथ दिया। पंजाबी सूबा बनने के बाद जब कांगडा जिला हिमाचल में भाामिल हो गया तो वे हिमाचल असैम्बली में चले गये। वहां पर लम्बे अर्से तक एम0एल0ए0 तथा मिनिस्टर रहे लेकिन आज वे हमारे साथ नहीं हैं।

इसी प्रकार ज्ञानी भाादी सिंह, सम्पादक अकाली पत्रिका का पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया। ये अकाली पत्रिका के एडीटर थे औंर अच्छे जर्नेलिस्ट थे। पंजाब और हरियाणा में हिन्दु सिक्ख एकता के लिये इन्होंने सराहनी काम किया। इनकी जुदाइ आज हम बहुत महसूस कर रहे हैं।

राजा महेन्द्र प्रताप की मृत्यु पर हमें बहुत दुख है। जिन दिनों आजादी का नाम लेना भी मु कल हुआ करता था उन दिनों आपने आजादी के लिए डट कर संघर्श किया। स्वामी दयानन्द ने आजादी के लिये आवाज उठाई और यह नारा दिया कि विदे ाी राज दे ाी राज के मुकाबले में अच्छा नहीं हो सकता। उन दिनों आर्य समाज ने जो हालात पैदा अर्से तक रहे, जलावतन भी रहे और हमारे दे ा की मदद करते रहे और दे ा को आजाद करवाने में कामयाब हुए, लेकिन दे ा जो तरक्की करना चाह रहा था, वह देखना उनके नसीब में नहीं था। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। स्पीकर साहब, जो महान हस्तियां हमसे जुदा हुई हैं। उनके परिवारों के साथ हम हमदर्दी प्रकट करते हैं इसलिये हम सबको मिल कर इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): स्पीकर साहब, जिन मुमताज भाख्सीयतों के निधन पर चीफ मिनिस्टर साहब ने भाोक प्रस्ताव हाउस में रखा है, उसमें हम भी भारीक हैं। बहुत से नामवर नेता पिछले चंद महीनों में हमारे बीच से उठ गए हैं, जिन से मेरा

खास ताल्लुक रहा है। ये सब इतनी बड़ी हैसीयतें थी जिन का हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि बाहर के इलाकों में भी बड़ा नाम था। लार्ड माऊंटबैटन, हिन्दुस्तान के वायसराय रहे थे और उसके बाद गवर्नर जनरल हुए। साउदी अर्ब में सुप्रीम कमांडर रहे और हरियाणा के बहुत से फौजी अफसरों और सिपाहियोयं को उनकी कमांड में काम करने का मौका मिला। बर्मा की जांग मैं कामयाबी होना, लार्ड माऊंटबैटन की भाख्सीयत का नतीजा था। हिन्दुस्तान, आजाद होने के बाद भी कौमन वैल्थ में भाामिल हो गया क्योंकि इनके दिल में हिन्दुस्तान के लिए बहुत बड़ी गुड विल थी। जिस अफसोसनाक दुर्घटना में इनकी मौत हुई, उससे सारी दुनिया को परे ाानी है।

इनके अलावा, श्री देवराज आनन्द, श्री पाल सिंह रूमी, श्री इन्द्र सिंह लहरी, श्री हरी राम जैसे दोस्तों के साथ मुझे सालों साल तक पंजाब असैम्बली में रहने का मौका मिला। इतने पुराने साथियों की जब याद आती है तो पंजाब का पुराना नक ाा भी सामने आता है। श्री देवराज आनन्द मिनिस्टर भी रहे और हमारे साथ मैम्बर भी रहे और मेरे नजदीकी दोस्तों में से एक थे। श्री इन्द्र सिंह लहरी हरदिल अजीज थे। एक बार जो आदमी उनसे मिल लेता था, वह हमे ाा उनको नजदीकतरीन दोस्त समझता था। वे जहां कहीं जाते थे, हमे ाा खु ाी पैदा करते थे। इनकी मौत पर सारे हरियाणा को अफसोस है क्योंकि वे वाकई ही काबले इखलाक इन्सान थे।

श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई, हैदराबाद में सो ाल वर्कर थीं और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती थीं और गरीब मजदूरों में वे बहुत पापुलर थीं। मैंने उनके एजुके ान इंस्टीच्यु ान्ज देखे हैं। लड़कियों के लिए उन्होनें जो सिखलाई सैन्टर खोले थे उनमें वे बड़ी लगन से काम करती थीं। मैं उनको बड़ी बहिन की तरह माना करता था। मुझे उनकी मौत पर सख्त रंज है।

स्पीकर साहब, कुछ पार्लियामैंट के मेम्बरान, जिनके साथ मुझे लोक सभा में रनहे का मौका मिला था, हमारे बीच से उठ गए हैं। जैसे श्री कोठा रघुरमैया, श्री वसन्तराव पी0 नायक, इनके साथ मेरा ताल्लुक रहा। श्री वसन्तराव महाराश्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे और उस वक्त उनसे मुलाकात करके पता लगाया जा सकता ाि कि उनके दिल में दे ा के लिए कितनी तड़प थी।

श्री बी0एस0 मूर्ति जी एक बहुत बड़े हरिजन नेता थे। वे सैन्ट्रल गवर्नमैंट में काढफी अर्सा तक रहे। गरीब और मजदूर हरिजनों के लिए उन्होंने खास तौर पर बेहद काम किया। स्पीकर साहब, हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब के कुछेक साथी भी इस प्रस्ताव में भाामिल हैं। मोहन सिंह तुड़ जी का नाम तो न सिर्फ पंजाब में बल्कि सारे हिन्दुस्तान में उनके कार्यों के लिए याद रहेगा। आजादी की जंग में उन्होंने बेहद हिस्सा लिया और इस बात को जाहिर किया कि एक मजबूत इरादे के साथ गलत बात के खिलाफ हमे ाा टकराते रहना चाहिएं कितने ही मोर्चे उन्होनें सरकार के खिलाफ लगाए और लोगों की आवाज को ऊपर उठाया।

चौधरी हरी राम जी एक गरीब जाति से ताल्लुक रखते थे। वे कांगड़ा में बहुत पापुलर थे। पंजाब में हम काफी अर्सा साथ रहे। उनके निधन पर भी आज हरियाणा के लोगों को खास तौर पर रंज है।

इन भाब्दों के साथ मैं इन सब महान हस्तियों को, जिनका जिक्र यहां हुआ है अपनी श्रद्धांजलि पे ा करता हूं और इनके परिवारों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जिन 19 दिवंगत विभूतियों के बारे में भाोक प्रस्ताव पे ा किया है मैं उसका अनमोदन करनै के लिए खड़ी हुई हूं। इनमें से तीन विभूतियों का, जिनका मेरे साथ निजी परिचय रहा है, मैं वि ोश उल्लेख करूंगी। सबसे पहले मैं श्री प्रणव चैटर्जी जी का उल्लेख करूंगी। वे एक महान समाजवादी नेता थे। बोली की सहजता और विचारों की दृढ़ता जिनके व्यक्तित्व का मुख्य पहलू रहा हो, अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समाजसेवी आदमी को दमे जैसी बेमुराद बीमारी ने आ घेरा और वही उनकी असामायिक मौत का कारण बनी। उनके असामायकि निधन से दे ा के समाजवादी आन्दोलन को बड़ा धक्का लगा है। वे चूंकि मेरे घनिश्ठ मिलों में से एक थे इसलिए मेरे लिए उनका निधन वाक्या में एक अभाव है। उनके परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं जिस दूसरे व्यक्ति का उल्लेख करना चाहूंगी वे हैं श्री देवराज आनन्द। उनके बारे में जितना कहा जाए थोड़ा है। सन् 77 के चुनाव में उनके विरूद्ध मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला था। मैं इसे सौभाग्य ही कहना चाहूंगी क्योंकि कहते हैं कि बेबकूफ दोस्त से दाना दु मन बेहतर होता है। मुझे अपने निजी जीवन में उनसे जितना स्नेह और आ ीर्वाद मिला है, वह मेरे जीवन की एक अमूल्य निधि हैं मैं उनसे सम्बन्धित एक वाक्या सदन को बताना चाहती हूं जिससे उनके दाना व्यक्ति होने की झलक मिलती है। चुनाव जीतने के बाद जलूस निकालना एक प्रथा सी हो गई है लेकिन मैंने चुनाव जीतने के बाद जलूस निकालने से इन्कार कर दिया था और एक जन सभा करने की बात मानी थी ब ार्ते श्री देवराज आनन्द जी स्वयं आकर उस जनसभा को सम्बोधित करें। अध्यक्ष महोदय, यह जानकर आपको खु ी भी होगी और हैरानी भी होगी कि भााम को जन सभा अम्बाला छावनी में हुई और स्वयं देवराज आनन्द जी उसमें आए। उन्होंने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं जनता के फैसले को सिर झुका कर तसलीम करता हूं और अपनी अजीजा को उसकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा अपने विरोधी की जनसभा में जाकर चुनाव हारने के बाद इस तरही का आ ीर्वाद देना भाायद राजनैतिक जीवन में पहली मिसाल है। आज के वक्त में अपने राजनैतिक जीवन में उनका अभाव मुझे बार बार अखरेगा और अम्बाला छावनी के लोगों को भी अखरेगा क्योंकि एक

राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत के अलावा वे एक भाहरी के नाते से भी अम्बाला के बारे में सोचते थे। तो उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनके परिवार के सदस्यों के साथ संवेदना प्रकट करती हूं।

श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी व्यक्ति वि ोश के नहीं थे। वे हिन्दी जगत के सूय र्थे। उनके निधन से हिन्दी जगत को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अगर उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम राश्ट्र भाशा में कार्य करने में कुछ भी योगदान करेंगे तो यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इन भाब्दों के साथ, भाोक प्रस्ताव में जिन अन्य विभूतियां का जिक्र आया है उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि भेंट करते हुए अपनी संवेदना उनके परिवारों के सदस्यों तक पहुंचाने के लिए व्यक्त करती हूं।

श्री अध्यक्षः साहेबान, मुझे पता है कि सब सदस्यों के दिलों में इतने महान नेताओं को श्रद्धांजलि भेंट करने तथा उनके बारे में काफी कुछ कहने की इच्छा है लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं आपेस रिक्वैस्ट करूंगा कि मेरे द्वारा कुछ भाब्द इन महान नेताओं के प्रति कहे जाने के बाद अब हम इस कार्यवाही को समाप्त करें।

स्वर्गीय नेताओं के बारे में, जो कि वास्ताव में महान व्यक्ति थे तथा जिन्होंने वेरियस कैपेसिटीज में दे ा की सेवा की, बहुत कुछ कहा गया है। लार्ड माउंटबैटन हमारे समय के एक

बहुत महान व्यक्ति थे। उन्हें 42 साल की जवान आयु में साउथ ईस्ट एि ाया में सुप्रीम अलाइड कमांडर बनाया गया था। बहुत यंग एज में इतनी जबरदस्त जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी थी। उनकी कमांड के नीचे मेरी खु ाकिस्मती है कि मैंने भी तकरीबन डेढ़ साल नौकरी की है और इस डेढ़ साल के अर्से में तीन चार बार उनसे डायरैक्ट कांटैक्ट में आने का भी अवसर मुझे मिला। दुनिया की हिस्टरी में उनका नाम लिखा तो जाएगा ही लेकिन करोड़ों भारतवासियों के दिलों में उनके लिए जो जगह बन गई है वह मैं समझता हूं कि एक विदे ाी सख्भा के लिए एक बेमिसाल चीज है। जिस दुर्घटना में वे मारे गए उसके बारे में लोग बड़ा अफसोस करते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि एक फौजी आदमी के लिए जिसकी जिन्दगी संघर्श में कटी हो, वह एक करैक्ट घटना थी और भाायद लार्ड माउंटबैटन भी उससे खु ा हुए हों क्योंकि उन्हौंने अपनी बहादुरी का सबूत आखिरी दम तक दिया।

श्री कोठा रघुरमैया एक फार्मर यूनियन मिनिस्टर फार पार्लियामैन्टरी अफेयर्ज थे। वे बहुत प्रसिद्ध पार्लियामैन्टेरियन और सियास्तदान थे।

श्री बी0एस0 मूर्ति, फार्मर यूनियन मिनिस्टर आफ स्टेट फार हैल्थ एंड फैमिली वैल्फयर, एक बहुत प्रसिद्ध पार्लियामैन्टेरियन थे। उन्होंने भी दे ा की बहुत सेवा की।

श्री वी पी0 नायक 12 साल तक महाराश्ट्र के मुख्य मंत्री रहे। वे एक अनुभवी सियास्तदान तथा पार्लियामैंटेरियन थे।

संसद के अन्य भूतपूर्व सदस्यों ने भी जिनका नाम इस भाोक प्रस्ताव में है, अपने अपने ढंग से दे ा की सेवा की।

श्री देवराज आनन्द के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। मैं इसी बात से सहमत हूं कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है।

जत्तेदार इन्द्र सिंह लहरी और श्री पाल सिंह रूमी हमारे साथ वाले राज्य पंजाब की विधान सभा के सदस्य थे। श्री हरी राम जी हिमाचल के भूतपूर्व मंत्री थें और उन्होंने भी अपने इलाके की बेमिसाल सेवा की।

श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य जगत के सूर्य थे। उनको पदम भूशण समेत चार एवार्ड दिए गए।

ज्ञान भाादी सिंह एक जरनेलिस्ट थे और वे पंजाब पत्रकार संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे।

राजा महेन्द्र प्रताप ने, आप सब जानते हैं अपना पूरा जीवन दे ा की आजादी की लड़ाई में बिता दिया।

माननीय सदस्यगण, मैं स्वर्गीय नेताओं के प्रति अपने साथियों द्वारा सदन में प्रकट की हुई भावनाओं से अपने आपको पूरी तरह से भाामिल करता हूं और मैं इन भावनाओं को दुःखी

परिवारों के सदस्यों तक पहुंचाऊंगा। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब स्वर्गीय नेताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए दो मिनट के लिए मौन धारण करें।

(इस समय समन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

प्र न काल

14.30 बजे

श्री अध्यक्षः साहेबान अब सवाल होंगे। श्री कंवल सिंह।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। (ाोर)

श्री अध्यक्षः सवालौं के दौरान प्वायंट आफ आर्डर नहीं हो सकता। (ाोर)

चौधरी गंगा रामः वालों के दौरान प्वायंट आफ आर्डर हो सकता है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। क्वै चन आवर में सिवाए क्वै चन के और कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। (ाोर) अब क्वै चन आवर भाुरू हो चुका है। (ाोर)

चौधरी गंगा रामः अभी क्वै चन आवर भाुरू नहीं हुआ। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैंने अढ़ाई बजे अनाउन्स कर दिया 'अब सवाल होंगे'।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, क्वै चन आवर भाुरू होने के बाद ये कैसे बात कर रहे हैं ? क्वै चन आवर में कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हो सकता (ाोर)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्षः आप अपनी बात सही टाईम पर कहिए। (विघ्न) इस समय क्वै चन आवर भाुरू हो चुका है, अब आप बैठिए। चौधरी कंवल सिंह जी आप अपना सवाल पूट करें। (ाोर)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, यह क्वै चन आवन नहीं चल सकता। मेरे पास कोई कागज नहीं पहुंचा और न ही मेरे पास कोई ऐजन्डा पहुंचा है। (ाोर)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: He is not resuming his seat and is defyijng the Chair. He should be named.

चौधरी गंगा रामः कौन सा क्वै चन है ? हमारे पास कोई भी ऐजन्डा नहीं है। हम कैसे तैयार होकर आ सकते थे जब हमारे पास कोई ऐजन्डा ही न पहुंचा हों (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए। चौधरी कंवल सिंह, आप अपना सवाल पुट करें।

श्री कंवल सिंहः सवाल नम्बर 1211।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मेरी बात तो सुनें। (ाोर) मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप बैठिए। क्वै चन आवर में कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हो सकता। (विघ्न) आप मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिल लेना। अगर कोई इररैगुलेरिटी हुई होगी तो उसको दरूस्त कर दूंगा। (ाोर)

चौधरी गंगा रामः मेरे पास कोई भी चीज नहीं पहुंची है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः अब दे देते हैं। एक सैट आफ क्वै चंज चौधरी गंगाराम जी को दे दिया जाये। (ाोर)

(इस समय विधान सभा के उप–सचिव ऐजन्डा पेपर्ज का सैट देने के लिए माननीय सदस्य के पास गये।)

चौधरी गंगा रामः मेरे पास पहले कोई कागज नहीं पहुंचा, अब देने का क्या फायदा है ? (ाोर)

Mr. Speaker: I am on my legs, please take your seat. (Interruptions)

सदस्य का नाम लेना

चौधरी गंगा रामः जब हमारे पास कागज ही नहीं पहुंचे तो हम कैसे तैयारी करते ? (ाोर)

Mr. Speaker: I name you. Please withdraw from the House. (Noise and Interruptions)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं चल सकती। (ाोर)

Local Government Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): He is defying the Chair. He should be removed from the House. (Interruptions)

चौधरी गंगा रामः आप हमारी बात सुनें, ऐसे कार्यवाही नहीं चल सकती। (ाोर)

Mr. Speaker: Remove him from the House.

(At this stage the Serjeant-at-Arms went to the seat of the hon. Member who was surrounded by several other members of the Opposition who raised slogans and there was great disorder in the House).

बैठक का निलम्बन (सस्पैन ान)

Mr. Speaker: I adjourn the House for half-an-hour.

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 3.04 p.m.)

सदस्य का नाम लेना

(इस समय भी चौधरी गंगाराम जी हाउस में बैठे हुए थे।)

श्री अध्यक्षः साहेबान,जहां तक हाउस की डिगनिटी का सवाल है, मैं अपनी पोजी ान और हाउस की पोजी ान को मेनटेन करने के लिए कतई कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। (ाोर) I had named Chaudhri Ganga Ram. I would request him to withdraw from the House.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मेरी एक अर्ज है (विघ्न)

Mr. Speaker: I will not hear anything unless he withdraws from the House. (Noise)

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, आप बात तो सुन लें। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः पहले चौधरी गंगा राम हाउस को छोड़ें, उसके बाद कोई बात सुनूंगा आप बैठिए (विघ्न)

चौधरी देवी लालः आप पहले बात तो सुनें। इस तरह से कार्यवाही कैसे चलेगी ? (ाोर)

Mr. Speaker: Please take your seat. The dignity of the House will be maintained at all costs. पहले चौधरी गंगा राम जी हाउस को छोडें। (ाोर)

चौधरी देवी लालः यह बिल्कुल नहीं होगा। स्पीकार साहब, हम चाहते हैं कि पहले आप अपने डिसिजन को रीकन्सिडर करें। आप हालात को समझने की कोि ा ा करें। (ाोर)

श्री अध्यक्षः हालात को मैं अच्छी तरह समझता हूं। हाउस की डिगनिटी के बारे में कतई कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा (ाोर) आप बैठिए।

चौधरी देवी लालः बिल्कुल नहीं। (विघ्न) आप हमारी बात सुनें।

श्री अध्यक्षः चौधरी देवी लाल जी आप बैठिए। जब तक श्री गंगा राम जी हाउस से बाहर नहीं जाते तक तक हाउस की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। (विघ्न) Chaudhri Ganga Ram should withdraw from the House first.

चौधरी देवी लालः बिल्कुल नहीं होगा।

Mr. Speaker: I name Chaudhri Devi Lal. He may please withdraww from the House.

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, हम वाक आउट करते हैं। आप के खिलाफ नो–कानफिडेन्स मो ान ला रहे हैं। (ाोर)

(इस समय चौधरी देवी लाल तथा उनके दल के कई सदस्य खड़े हो गये परन्तु सदन से बाहर नहीं गये।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): यह हाउस है, कोई खेत नहीं है। हम राम चलाना जानते हैं।

Mr. Speaker: Remove him from the House. The Dignity of the House will be maintained at all costs.

(At this stage the Serjeant-at-Arms went to the seat of the hon. Member, Chaudhri Devi lal, who continued sitting in his seat surrounded by several other members of his group)

रूल 104 का निलम्बन तथा सर्वश्री गंगा राम और देवी लाल

का निलम्बन।

Local Government Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): I give notice of a motion for the suspension of Rule 104 in its application to the motion regarding suspenstion of Sarvashri Ganga Ram, Sant Kanwar, Satbir Singh Malik, Ude Singh Dalal and Devi Lal and their suspension from the service of the House for the remainder of the session for continued defiance of the orders of the Speaker.

(The members of the opposition surrounding Chaudhri Devi Lal continued raising slogans and creating disorder)

Mr. Speaker: There is a motion from Sarvshri Khurshid Ahmed and Ram Lal Wadhwa that Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Harayna Legislative Assembly be suspended in its application to the

motion regarding the suspenstion of Sarvshri Ganga Ram, Sant Kanwar, Satbir Singh Malik, Ude Singh Dalal and Devi Lal, and they be suspended from the service of the House for ther remainder of the session for continued deficance of the orders of the Speaker.

I admit the motion. But I would say that I had named only Chaudhri Ganga Ram and Chaudhri Devi Lal. (Noise and Interrutpions)

Chaudhri Khurshid Ahmed: In that case, I amend the motion to that extent and move-

That Rule 104 of the Procedurea and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the suspention of Sarvshri Ganga Ram and Devi Lal.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Rule 104 of the Procedurea and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the suspention of Sarvshri Ganga Ram and Devi Lal.

Mr. Speaker: Question is-

That Rule 104 of the Procedurea and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the suspention of Sarvshri Ganga Ram and Devi Lal.

The motion was carried.

Local Government Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): I beg to move-

That Sarvshri Ganga Ram and Devi Lal, Members of the House, having been named by the Speaker did not withdraw from the House and continued to defy his orders. They committed gross contempt of the House and breach of privilege. This House suspends them for the rest of the session and directs the aforesaid members to absent themselves from the meetings of this House for the remainder of the present session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Sarvshri Ganga Ram and Devi Lal, Members of the House, having been named by the Speaker did not withdraw from the House and continued to defy his orders. They committed gross contempt of the House and breach of privilege. This House suspends them for the rest of the session and directs the aforesaid members to absent themselves from the meetings of this House for the remainder of the present session.

Mr. Speaker: Question is-

That Sarvshri Ganga Ram and Devi Lal, Members of the House, having been named by the Speaker did not withdraw from the House and continued to defy his orders. They committed gross contempt of the House and breach of privilege. This House suspends them for the rest of the session and directs the aforesaid members to absent themselves from the meetings of this House for the remainder of the present session.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Chaudhri Ganga and Chaudhri Devi Lal stand suspended from the House from the House for the ramiander of the session for grossly disorderly conduct. They should leave the House.

(सर्वश्री देवी लाल तथा गंगा राम अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहे और कई अन्य सदस्यों ने उन्हें घेरे रखा।)

चौधरी संत कंवरः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। आप हमारी बात तो सुनें। (ाोर)

Mr. Speaker: No point of order till the two hon. Members who have been suspended, withdraw from the House.

(Both the hon. Members still continued sitting in their seats surrounded by other members of their group and there was great noise)

चौधरी संत कंवर तथा अन्य कई सदस्यः आप हमारी बात तो सुनें। (ाोर)

Chaudhri Khurshid Ahmed: Sir, nothing should be recorded till both these members, who have been suspended, leave the House.

(There was great noise and interruptions)

बैठक का निलम्बन

Mr. Speaker: I adjourn the House for half-an-hour.

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 3.44 p.m.)

वाक–आउट

(Hon. Members, Sarvshri Devi lal and Ganga Ram, were still sitting in the House)

Mr. Speaker: I will request Chuaudhri Ganga Ram and Chaudhri Devi Lal to please withdraw from the House.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जरा मेरी बात भी सुन लीजिये। (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, हम यह मानते हैं कि हाउस की डिगनिटी और डैकोरम का आपको, हम सबसे ज्यादा ख्याल है। आपके बाद लीडर आफ दि हाउस का फर्ज और जिम्मेवारी बनती है। इसके आलवा हरेक मैम्बर की भी कुछ अपनी जिम्मेवारी है। अपोजी ान में बैठे होने के नाते मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस मौके पर इन्टरवीन करूं। हाउस में जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेरी रिवक्वैस्ट यह है कि इसको निपटाने की बात सोची जाये। आज अगर दो आनरेबल मैम्बर्ज को हाउस से निकाल दिया जाये तो इस बात से कोई गारन्टी नहीं हो सकती कि उसके बाद हाउस की कार्यवाही अच्छे तरीके से चल सकेगी। इसलिये मैं आपको भी सुझाव दूंगा और लीडर आफ दि हाउस को भी सुझाव दूंगा कि इस मामले में जैसे आम प्रथा है कि

जिन सदस्यों के नाम लिये गये हैं, उनको लीडर आफ दि हाउस को और अपोजी ान के लीडर को बुलाकर बात करें ताकि हाउस के अन्दर डैकोरम रखने के लिए सब लोगों का सहयोग मिल सके। (व्यवधान व भाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): राव साहब, मो ान तो पास हो चुकी है। आप अगर इसके पास होने से पहले कहते तो आपकी बात मानने लायक थी और कंसिडर की जा सकती थी।

राव बीरेन्द्र सिंहः उस वक्त तो स्पीकर साहब सुनते ही नहीं थे बात ही नहीं कहने देते थे। उस वक्त तो ये सुनने के मूड में ही नहीं थे। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः आज तो बहुत पुराने पार्लियामैंटेरियान हैं (ाोर व व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंहः इसीलिये तो मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः राव राहब, आपकी भावनाओं को मैं एप्री ीयेट करता हूं। I appreciate them but the motion has already been carried and that must be implemented before any other business is taken up. (Interruptions)

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, कल तो लीडर आफ दि हाउस चौधरी देवी लाल थे लेकिन आज चौधरी देवी लाल लीडर आफ दि अपोजी ान हैं (ाोर व व्यवधान)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: He is not. (Interruptions)

Local Government Minsiter(Chaudhri Khurshid Ahmed): He has resigned.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: He is no more leader of the opposition.

इन्होंने चौधरी चांदराम को लीडर इलैक्ट कर लिया है। इन्होंने रिजाईन कर दिया है (व्यवधान व भाोर)

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, वधवा साहब तो हद्द से भी आगे बढ़ जाते हैं। पहले चौधरी देवी लाल के साथ बैठते थे तब भी इतने ही जोर से बोलते थे और आज चौधरी भजन लाल के पीछे बैठे हैं तो और भी ज्यादा जोर से बोलते हैं। (व्यवधान व भाोर) या तो डाक्टर साहब बोल लें या फिर लीडर आफ दि हाउस बोल लें। पता नहीं चौधरी खुर ाीद अहमद और वधवा साहब को क्या तकलीफ हो रही है, हमें ये बोलने ही नहीं देते। (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, जो कुछ भी मैंने अर्ज किया है, उसके बारे में मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन मेरी चेयर से, लीडर आफ दि हाउस से और सरे आनरेबल मैंम्बर्ज से यह गुजारि ा है कि इस मामले को जितनी खु ा असलूबी से हो सके निपटाया जाये, इसी में हाउस की भाोभा है।

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि राव साहब बड़े पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं। पंजाब

विधान परिशद में भी रहे हैं, फिर इस हाउस के लीडर भी रहे हैं और लोक सभा में भी रहे हैं। इनका बड़ा तजर्बा है। ये बड़े सीजन्ड पोलिटीि ायन और पार्लियामैंटेरियन हैं। मैं उनकी बात की सराहना करता हूं लेकिन एक बात आपके द्वारा माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आनरेबल मैम्बर चौधरी गंगा राम ने भाुरू में जो ि ाकायत की, वह इस बारे में की कि उनको कागजात नहीं मिले। वह बात आपके बारे में कही गयी। (व्यवधान व भाोर)

राव बीरेन्द्र सिंहः उनको तो तजर्बा नहीं है। पता नहीं ब्रिगेडियर साहब उनको समझाते क्यों नहीं है ?

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, हमें तो इस बारे में गिला है ही नहीं। गिता तो हमें यह है कि उन्होंने चेयर पर रिफलैक ान की है। It is the moral and poius duty of this House to protect the honour and dignity of the Chair.

(At this stage several members from the opposition benches rose to speak and there were interruptions)

डा0 मंगल सैनः इसलिये स्पीकर साहब, मैं राव साहब को बड़ी मोअदबाना गुजारि ा करना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि उस वक्त आप सुनने के मूड में न हों, लेकिन आपको मूड़ में लाने का हमारे दोस्तों ने मौका ही नहीं दिया।

चौधरी उदय सिंह दलालः राव साहब की बात मान लो नहीं तो आज धुत्तु घुस जायेगा।

डा0 मंगल सैनः मैं अपने दोस्त उदय सिंह दलाल से यह आ ाा नहीं करता था। हमने धुत्तु बजा बजा कर उनको इस हाउस तक पहुंचाया है। जहां तक धुत्तु की बात है, वह तो हरेक पर लागू होती हैं हर पोलिटीकल आदमी यह जानता है कि हरेक सिचुए ान को कैसे फेस करना चाहिये। (व्यवधान व भाोर) मैं तो राव साहब की बात पर अर्ज कर रहा था।

Mr. Speaker: Hon. Members, I have given sufficient opportunity. Now I would ask Chaudhri Ganga Ram and Chadhri Devi Lal to leave the House (Interruptions)

Chaudhri Sant Kanwar: On a point of order, Sir. (Interruptions).

Mr. Speaker: No point of order will be considered till Chaudhri Devi Lal and Chaudhri Ganga Ram leave the House for grossly disorderly conduct.

चौधरी उदय सिंह दलालः ** * * * *

* * * * * * `* *

* * * * * *

Mr. Speaker: These remarks should not be recorded. (Interruptions).

No 'karyawahi', after I said the Chaudhri Ganga Ram and Chaudhri Devi Lal should withdraw from the House, will be recorded.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप हमें भी बोलने का मौका दीजिये। हम भी हमारी बातें बतादेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है ? (व्यवधान व भाोर)

(At this stage Chaudhri Devi Lal and Chaudhri Ganga Ram continued to be present in the House)

Mr. Speaker: I order the Marshal to see that Chaudhri Devi Lal and Chaudhri Ganga Ram are removed from the House.

A voice from the opposition benches: We should be heard first. (Interruptions)

Mr. Speaker: No, I am not going to listen anything till Chaudhri Devi Lal and Chaudhri Ganga Ram leave the House. (Interruptions).

चौधरी देवी लालः हम बतौर प्रोटैस्ट वाक–आउट करते हैं।

(इस समय चौधरी देवी लाल सहित जनता (एस) के तमाम सदस्यगण, कंवर विजयपाल सिंह को छोड़ कर, सदन से वाक–आउट कर गये)

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Mr. Speaker: Since the time for answering questions is already over,s the questions on the order paper will be deemed to have been answered and replies thereto laid on the Table of the House.

I.A.S. Officers reallocated from other states to Haryana and vice versa

***1211. Sh. Kanwal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The number of I.A.S. Officers who though originally allocated to other States was subsequently reallocated on option to Haryana cadre because of their marriage with officers of Haryana cadre;

(b) The number of I.A.S. Officers of Haryana cadre who have been reallocated/opted out to other states on the ground as referred to in para (a); and

(c) Whether it is also a fact that some I.A.S. officer of another States cadre served on deputation in Haryana on consideration of his/her marriage with the officer of Haryana Cadre?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) 4

(बी) 2

(सी) जी हां

Award of next higher grade to the Provincialised clerical staff

***1214. Sh. Tek Ram:** Will the Minister for Education be pleased to State the reasons for ignoring the Provincialised clerical staff of Haryana State (Sub-officer) for the award of next higher grade when the Provincialised Teaching staff has been awarded next higher grade with effect from 1st October, 1974, on the completion of 18 years of service?

ि ाक्षा मंत्री (स्वामी अग्निवे ा): स्टेट अथवा प्रान्तीयकृत काडर के लिपिक वर्गीय स्टाफ को उच्च ग्रेड देने बारे कोई व्यवस्था नहीं है जबकि अध्यापक वर्ग के स्केल स्ट्रकचर में कुल पदों के 15 प्रति ात स्टाफ को सिलेक ान ग्रेड देने बारे व्यवस्था है जोकि उनका अपना उच्चतर वेतनमान है। इससे स्पश्ट है कि प्रान्तीयकृत लिपिक वर्गीय स्टाफ के उच्च ग्रेड दिये जाने से वंचित रखने का प्र न ही उत्पन्न नहीं होता। फिर भी प्रान्तीयकृत संवर्ग स्कूलों के लिपिकों को उच्च ग्रेड देने बारे मामला सरकार के विचारधीन है।

T.A./D.A. drawn by Ministers

***1224. Sh. Shemsher Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state the amount T.A./D.A. drawn by Ministers together with the expenditure incurred on petrol and Telephone in office and residence, separately during the period from 1st January, 1979 to-date?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal): A statement (Annexure 'A') containing the requisite information is laid on the Table of the House.

ANNEXURE 'A'

Statement showing the total expenditure incurred on T.A./D.A., Petrol and Telephone (in office residence separately) in respect of each of the Chief Minister/other Ministers for the period from 1-1-79 to 31-8-79

Sr.	Name and designation	T.A./D.A	Petrol	Telephones	
				Office	Residence
1	2	3	4	5	6
Sarvshri-					
1	Bhajan Lal, C.M.	6241.00	27427.34	11424.00	19455.90
2	Mangal Sein, I.M.	5343.00	28482.75	12651.85	20304.75
3	Balwant rai	1428.00	5039.14	1345.00	

	Tayal, F.M.				
4	Rizaq Ram, I.P.M.	612.00	7987.67	770.00	
5	Mehar Singh, L.M.	4999.00	24784.14	7085.80	5583.00
6	Gajraj Bhadur Nagar, F.S.M.	6450.00	28076.07	10005.00	8140.50
7	Jagan Nath, T.M.	714.00	6443.58	1881.00	476.00
8	tara Singh, A.M.	714.00	7447.19	3914.90	443.00
9	Khurshed Ahmed, L.G.M.		2992.56	374.00	
10	Smt. Dr. Kamla Verma, H.M.	2695.00	11432.05	4581.70	11130.35
Sarvshri-					
11	Bir Singh, C.P.M.	2575.50	13754.88	5136.00	6032.85
12	Sher Singh, R.M.	3599.25	21036.46	8897.10	11581.05
13	Rampal Singh, R.W.M.		1988.59	200.00	
14	Shiv Ram,		1568.95	404.00	

	J.D.M.				
15	Ram Narian, D.M.	612.00	2175.18	2832.90	
16	Agnivesh, E.M.		2642.68		
17	Lal Singh, D.L.M.	612.00		83.00	
18	Sardar Khan, D.H.M.	612.00	2410.67	215.00	
19	Devender Sharma, D.I.P.M.		2755.89	324.00	
20	Prem Singh, D.A.M.	612.00	3305.48	124.00	
21	Jai Narian, D.L.G.M.	612.00	2650.43	986.35	
22	Devi Lal, Ex-C.M.	6984.50	11531.70	8062.50	29933.85
23	ran Singh, Ex-Minister	3927.00	10102.72	2783.10	12047.25
24	Mool Chand Jain, Ex-Minister	2799.00	12292.98	4593.40	2032.70
25	Verender Singh,	5682.25	23509.91	14242.15	9644.00

	Ex-Minister				
26	Prit Singfh, Ex-Minister	3621.00	22427.09	11417.85	7911.20
27	Lachhman Singh, Ex-Minister	3723.00	15485.18	8359.10	9651.20
28	Hira Nand Arya, Ex-Minister	4596.50	14088.43	6554.00	8057.50
29	Deep Chand Bhatia, Ex-Minister	612.00	6276.61	4172.10	4670.75
30	Hukam Singh, Ex-Minister	714.00	4168.84	838.70	632.30
31	Ram Lal Wadhwa, Ex-Minister	2805.00	12454.13	13100.60	6199.60

*Corporation Car being used; Corporation's claim will be adjusted when received

Sewerage system in Meham Town

***1215. Ch. Harswarup Bura:** Will the Minister for Public Works (Public Health) be pleased to state-

(a) Whether there is any Sewerage system in Meham Town; and

(b) is so, whether it is functioning properly; if not, the reasons therefore together with the time by which it is top be put into working condition?

Labour Minister (Ch. Mehar Singh Rathee):

(a) Yes, under construction.

(b) It has started functioning partially with effect from 1st June, 1979.

Purchase of grade II Wheat

***1229. Sh. Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state-

(a) Whether it is the fact that the Haryana Government had taken decision on the 9th May, 1979 to purchase wheat of grade –II at the rate of Rs. 115 per quintal instead of its earlier rate of Rs.113/-per quintal in the State; and

(b) If so, the reasons for purchasing at the rate o0f Rs. 113/- per quintal at Jind on 11th May, 1979 in contravention of the decision referred to in part (a0 above along with the names of persons responsible for the loss caused to the farmers as a result thereof together with the action taken against them?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(ए) सरकार ने निर्णय लिया कि क्योंकि हरियाणा की लगभग सारी गेहूं एफःएःक्यूः ग्रेड 1 क्वालटी की है, इसलिये यह सुनिि चत किया जाये कि इसको भली प्रकार से साफ करके, ग्रेड 1 की सपैसिफिके ानज के अनुसार बनाया जाये ताकि उसको ग्रेड 1 की दर 115 रूपये प्रति क्विंटल पर खरीद किया जाये।

(बी) उपरोक्त (ए) के प्रका ा में प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Thefts, robberies and dacoities in the State

***1235. Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the district-wise total number of cases of Thefts, robberies and dacoities registered during the period from 1st April, 1979 to 31st may, 1979 in the State;

(b) the number of dacoits/thieves/robbers arrested in the cases as referred to in part (a) above and the action taken against them to date; and

(c) the total number of cases out of those referred to in part (a) above in which the action has not taken so far?

Chief Minister (Ch Bhajan Lal): (a), (b) and (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Cases registered from 1-4-79 to 31-5-79

District	Theft	Robbery	Dacoity
Ambala	80		
Kurukshetra	70	2	
Karnal	96	1	
Sonepat	52		
Rohtak	88	3	
Sirsa	26	1	
Hissar	74	3	
Jind	44	1	
Bhiwani	37		
Narnaul	34		
Gurgaon	103	2	
Total	704	13	

(b) Persons arrested in the cases as referred to above (a)

District	Theft	Robbery	Dacoity
Ambala	51		

Kurukshetra	54	6	
Karnal	41	1	
Sonepat	40		
Rohtak	23	2	
Sirsa	16		
Hissar	29	3	
Jind	17	2	
Bhiwani	23		
Narnaul	11		
Gurgaon	54	5	
Total	359	19	

Action against thieves and robbers is being taken under the law.

(c) Nil.

Construction of bus-stop shelters in Gurgaon District

***1251. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) Whether thereis any proposal under consideration of the Government to construct Bus-stop shelters on the followings roads of Gurgaon district-

(i) Hodel-Nuh

(ii) Hodel-Nagina

(iii) Gurgaon-Ferozepur Jhirka

(iv) Palwal-Gurgaon

(v) Ballabgarh-Sohna

(vi) Ballabgarh-Gurgaon, Sohna via Mandkola Palwal

(vii) Palwal-Nuh

(viii) Hathin-Pinagwan

(ix) Palwal-Hodel

(x) Palwal via Redhaur-Hassanpur

(xi) Hassanpur-Hodel; and

(b) if so, the names of places where the above referred to shelters are to be constructed together with the time by which the said proposal is likely to be mineralized ?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath):

(a) Yes, on seven of these roads.

(b) The following bus queue shelters are proposed to be constructed on the routes noted against each:-

(i) Hodel-Nuh	Uttarwar &Ujina (already constructed)
(ii) Hodel-Nagina	Punahana-Indanakothi
(iii) Gurgaon-Ferozepur Jhirka	Dhasere-Riswana, Malav Jhirka
(vi) Ballabgarh-Gurgaon, Sohna via Mandkola Palwal	Indri
(v) Palwal-Hodel	Bahmikheras, Aurangabad (Banchari)
(vi) Ballabgarh-Sohna	Dhog
(vii) Hassanpur-Hodel;	Beruki (Hassanpur)

These bus-queue shelters will be constructed before the close of current financial year. There is, however, no proposal to construct bus-queue on Palwal-Gurgaon, Palwal-Nuh, Hathin-Pinagwan, Palwal via Redhaur-Hassanpur routes at present.

Discarding of imported cars by the Ministers

***1212. Sh. Kanwal Singh:** Will the chief Minister pleased to state-

(a) Whether the Government has taken any decision to discards the use of imported cars, S.T.D. facilities at the houses of mInisters and Officers; and

(b) if so, the steps taken so far by the Government in this be-half ?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal): (a) & (b). The government had decided in principle that the ministers should give the use of imported cars. Steps are being taken to purchase new Ambassador Cars to replace the existing imported Cars of the Ministers. The Question regarding the withdrawal of S.T.D. facility has been considered. It is felt that it would be a retrograde steps not conducive to efficiency to bar the use of this modern equipment which facilities easy and quick communication.

House Building Loan

***1226. Sh. Shamsher Singh**: Will the Finance Minister pleased to state-

(a) the total Government of House Building loan earmarked for the Government employees during the year 1978-79;

(b) the total number of Government who have been advanced the said loan during the period as referred to in para (a) above;

(c) Whether any cases of mis-utilization of the said loan and of defaults in the repayment thereof have to the notice of the Government; and

(d) if so, the amount involved in each case ?

Finace Minister (Lala Balwant Rai Tayal):

(a) Rs. 1.31 crore.

(b) 727.

(c) It is the responsibility of the Heads of the Department to ensure security and proper utilization of these loans as per rules/instructions on the subject and to report cases of mis-utilization to the Finance Department and Accountant General after taking action in the context thereof. Since repayment of the loans is at source, the question of default in repayment should not arise. However, the general experience has been that evens such occasional cases as come to light are of technical irregularities rather than gross 'mis-utilization'.

(d) The question does not arise.

Over Bridge on Railway Line

***1216. Ch. Har Swarup Bura:** Will the Public Works Minister pleased to state-

(a) Whether the State Government intends to move the Central Government for Constructing Over Bridge on Railway Line on Rohtak-Hissar road; and

(b) if so, the time by which the proposal is likely to be materialized ?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) नहीं

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

Support price of Millet

***1230. Sh. Mange Ram Gupta**: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state-

(a) Whether the support price of Millet was fixed at the rate of Rs. 85/- per quintal for the year 1978-79; nad

(b) if the replay to part(a) above be in the affirmative, the quantity of Millet purchased by the Haryana Government at the rate of Rs. 85/- per quintal ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(ए) हां।

(बी) भून्य। मिलैट (बाजरा, ज्वार) की खरीद राज्य सरकार नहीं करती। अलबत्ता जब इन खाद्यान्न की खरीद कीमतें स्पोर्ट कीमतों से नीचे गिरने लगती हैं तो खाद्य निगम प्राईस स्पोर्ट प्रणाली के तहत इन खाद्यान्न की खरीद करती है।

Water Works in the State

***1236. Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Public Works Minister pleased to state-

(a) the district-wise number of water works sanctioned in the State after the formation of the Janta Party Government in the State; and

(b) the district-wise number of water works which have been completed till 31st May, 1979 ?

Labour Minister (Ch. Mehar Singh Rathee):

(a) & (b) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a)	Name of District	Number of Water Works sanctioned
1	Ambala	45
2	Bhiwani	22
3	Gurgaon	18
4	Hissars	49
5	Jind	10
6	Karnal	8

7	Kurukshetra	8
8	Mohindergarh	16
9	rohtak	29
10	Sirsa	28
11	Sonepat	10
	Total	**243**

(b)	Name of District	Number of Water Works completed up to 31-5-1979
1	Ambala	11
2	Bhiwani	5
3	Gurgaon	3
4	Hissars	4
5	Jind	Nil
6	Karnal	Nil
7	Kurukshetra	Nil
8	Mohindergarh	2
9	rohtak	Nil
10	Sirsa	4

11	Sonepat	Nil
	Total	**29**

Constituency-wise construction of metalled roads

***1252. Swami Adityyavesh:** Will the Minister for Public Works Minister pleased to state Constituency-wise length of metalled roads in kilo-metres constructed during the period from 1st April, 1979 to 30th May, 1979 ?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh): A statement is placed on the Table of the House.

Statement

Showing the Constituency-wise progress from 1-4-79 from 30-5-79

Sr.	**No of Constituency**	**Name of Constituency**	**length metalled during 1-4-79 from 30-5-79**
Ambala District			
1	1	Kalka	7.71
2	7	Mullana	0.40

Total			**8.11**
Karnal District			
3	11	Indri	0.20
4	12	Nilokheri	1.65
5	14	Jundla	0.50
6	16	Assandh	0.11
7	19	Naultha	2.40
Total			**4.86**
Kurukshetra District			
8	20	Shahabad	2.00
9	21	Radaur	0.20
10	23	Pehowa	0.40
11	24	Gulha	1.00
12	26	Pundri	2.30
Total			**5.90**
Rohtak District			
13	29	Kiloi	0.30
14	32	Kalanaur	0.80
15	33	Beri	1.00

16	34	Salhawas	0.30
17	35	Jhajjar	0.80
Total			**3.20**
Jind District			
18	44	Kalayat	2.40
Total			**2.40**
Gurgaon District			
19	54	Palwal	0.80
20	56	Hathin	0.40
21	59	Taoru	0.60
22	60	Sohnas	0.42
23	61	Gurgaon	1.10
Total			**3.32**
Bhiwani District			
24	69	Bawanikhera	0.50
Total			**0.50**
Hissar District			
25	70	Barwala	0.80
26	71	Narnaund	0.60

27	79	Adampur	1.60
Total			**3.00**
Sirsa District			
28	80	Darba Kalan	0.60
29	81	Ellenabad	1.10
30	83	Rori	2.70
31	84	Dabwali	1.20
Total			**5.60**
Mohindergarh District			
32	87	Jatusana	0.80
33	90	Narnaul	0.40
Total			**1.20**

Grand Total- 38.09 K.M.s

Say- 38.00 K.M.s

Note:- There is nil metalled length in order constituencies during the period from 1-4-79 to 30-5-79

Closure of B.Ed. courses/classes in the State

***1257. Sh. Surrender Singh:** Will the chief Minister pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the Government has closed the B.Ed. courses/classes in the State;

(b) if so, the number of teachers/lectures thus rendered surplus; and

(c) Whether there is any proposal under considerations of the government too absorb the teachers/lecturers referred to in part (b) above in the Government service?

ि ाक्षा मंत्री (स्वामी अग्निवे ा):

(ए) नहीं

(बी तथा सी) प्र न ही नहीं उठता।

Antyodaya scheme in the State

***1273. Sh. Mool Chand Jain:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that Government of India has written to the Haryana Government regarding the introductions Antyodaya Scheme in the State; if so, , when together the actions taken thereon: and

(b) Whether it is a fact that an alternative scheme is under consideration of the Government; if so, the details thereof?

Development Minister (Rao Ram Narian):

(a) Yes. On 4th August, 1978. No action was taken in regard to this programme because the Government felt that an alternative schemes being considered would be more feasible and ensure quicker implementation of the programme.

(b) Yes. The Haryana Government intends to take the integrated Rural Development Project in the selected blocks on pilot basis which will be executed in a phased manner to cover all eligible of people with a view to providing employment on the pattern of the SFDA and other such programmes. It is envisaged that maximum coverage would be ensured as against the Antyoadaya programme which seeks to cover a few selected families only.

Collapsing of houses in the rainy Season.

***1266. Ch. Peer Chand**: Will the Irrigation & Power Minister be pleased to state-

(a) Whether any flood is likely to be caused in river Ghaggar during the rainy season; and

(b) if so, what steps are likely to be taken to save the hundreds of houses of village Ratia?

Irrigation & Power Minister (Ch. Rizaq Ram):

(a) No flood was experienced in the Ghaggar River till 5th Septrember, 1979. Nothing can be said about the future.

(b) Temporary spurs were constructed near village Ratia this year. Scheme for providing permanent protection is under consideration.

Issue of National permits to private trucks owners

***1295. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) the district-wise total number of national permits issued to the private trucks owners during the years 1976-77, 1977-78 and 1978-79 to date separately the names and addresses of the persons to whom these permits were issued; and

(b) the criterion adopted for issuing the National permits to the trucks owners referred to in para (a) above?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath):

(a)	Number of National Permits (issued district-wise)	1976-77	1977-78	1978-79

1	Ambala	23	20	1
2	Karnal	5	7	
3	Kurukshetra	3	4	
4	Sonepat	4	13	
5	Rohtak	2	5	
6	Hissar		18	
7	Sirsa		8	
8	Jind		6	
9	Bhiwani		6	1
10	Mohindergarh		9	
11	Gurgaon		2	
	Total	37	98	2

The names and addresses of the permits holders are given at Annexure 'A'.

(b) Criteria adopted

The National permits were granted in accordance with the criteria laid down by the Government of India, as under:-

(i) 50 per cent of the National permits were granted to those who were already holding Inter-State permits.

(ii) 25 percent of the permits to those who were already holding Regional State permits.

(iii) 25 percent new entrepreneurs including ex-army personnel and un-employed drives.

The sanction of permits was, however, made on the basis of models of vehicles in each category referred to above.

ANNEXURE 'A'

Sr.	**Name/address of the permit holders**
Ambala District (1976-77)	
1	Sh. Bal Krishan s/o Daulat Ram, Jagaddhri.
2	Jagjit Singh s/o Gulab Singh, Ambala city
3	Surjan Singh s/o Bishan Singh, Ambala city
4	Dharam Singh s/o, Baskar Singh, Yamuna Nagar (Ambala)
5	Singara Singh s/o Jarnil Singh, Ambala
6	Pushpinder Kumar s/o Kalu Ram, Yamuna Nagar
7	Vipan Kumar s/o Satya Paul, Vill. Sirsagarh (Ambala).
8	Harander Singh s/o Kurumukh Singh, Jagadhri
9	M/s Bazz Singh Joginder Singh, Yamuna Nagar

10	Harbans Singh s/o Basant Singh, Ambala city
11	Devinder Singh s/o S.s. Dhillon, Ambala City
12	Bahadur Singh s/o Jarnail Singh, Yamuna Nagar
13	Sarjit Singh s/o Ram Singh, Ambala Cantt.
14	Rajinder Nath s/o Bahadur Chand, Ambala city
15	Thakur Dass s/o Moti Ram, Yamuna Nagar
16	M/s Ambala Goods Pvt. Ltd., Ambala City
17	M/s Santosh Singh Sarjit Singh, Vill. Shepour Sulkhani, Ambala
18	Ram Chand Gularis s/o Jiwan ram, Ambala City
19	Dharam Vir s/o Pyara Lal, Yamuna Nagar
20	Gulzar Singh s/os Kukam Singh, Vill. KKhanesra, ambala.
21	Smt. Sanyogra Thukral w/os Man Mohan Thukral V.P.O. Mohra, (Ambala)
22	Anil Kumar s/o Hans Raj, Ambala city.
23	M/s Yesh Pal Nand Ram, Yamuna Nagar
(1977-78)	
1	Surjit Singh s/o Mitha Singh, Ambala city
2	Bhan Parkash s/o Shiv Lal, Ambala.

3	M/s Rajinder Kumar Subash Chander, Ambala city
4	Tarlok Singh s/o Kartar Singh, Ambala city
5	Harbir Singh s/o Sewa singhs, Ambala city
6	Inderjit Singh s/o Jaidev Singh, Ambala city
7	Perhlad Singh S/o Attar Singh, Ambala city
8	M/s Harish Kumar Harinder Kumar, Ambala city.
9	Balbir Singh s/o Bablu Ram, Ambala city
10	Ashok Kumar s/o Prithvi Raj, Ambala Cantt.
11	Munshi Ram s/o Chanan Dass, Ambala city
12	lalit Mohan s/o Jaswant Rai, Vill. Mohra (Ambala)
13	Harbans Lal s/o Ram Dass, Yamuna Nagar
14	Arjan singh s/o Ram Singh, Ambala Cantt.
15	Bhupinder Singh s/o Gurumukh Singh, Kalka (Ambala)
16	Surinder pal Singh s/o Gurdial Singh, Kalka (Ambala)
17	Raj Pal s/o Sant ram, Ambala Cantt.
18	sarwan Singh s/o Amar Singh, Ambala Cantt.
19	Baljit Singh s/o Udey Singh, Ambala city
20	Jagtar Singh s/o Lehna Singh, V. Bal Chhapar, District Ambala.

(**1978-79)**	
1	Mohan Singh s/o Jit Singh, Vill. Patvi, Teh. N/garh, Ambala
Karnal District, (1976-77)	
1	Virender Kumar s/os Hakumat Rai, Panipat, Karnal
2	S.K. Chawala s/os Ashok Kumar, Panipat.
3	Jagtar Singh s/os Hari Singh, Samalkha Mandi, Karnal
4	Tirath Raj s/o Ram Chander, Panipat.
5	Mangal Sein s/os sant ram, Karnal
(1977-78)	
1	M/s Avtar Singh Tarlok Singh, Karnal
2	Ajit Singh s/o Daulat ram, Karnal
3	Surinder Kumar Uppal s/o Jagan Lal, Karnal
4	Lakha Singh s/o Hira Singh, Tarauri, Karnal
5	Gursharan Singh s/o Baljit Singh, Tarauri, Karnal
6	Mulakh Raj s/o Sohan Mal, Panipat, Karnal
7	M/s Gian Chand Jiya Lal, Radaur, Karnal
(1978-79)	
Nil	

Kurukshetra Diastrict (1976-77)	
1	Gian Chand s/o Lal Chand, Shahbad Markanda, Kurukshetra
2	M/s Shanker Singh Molu Ram, Vill. ratgal District Kurukshetra
3	Amar Singh, s/o ram Krishan, Vill. Fatehpur, Kurukshetra
(1977-78)	
1	Madan Lal s/o Bhagwan, V. Ladwa, Kurukshetra
2	Mohan Singh s/o Ram Singh, Didwana, Kurukshetra
3	Rajinder Kuamr s/o Gurcharan Dass, Kaithal
4	Raj Tilak s/o Mehta, Bindra ban, Kurukshetra
(1978-79)	
Nil	
Sonepat District (1976-77)	
1	Kartar Singh s/o Maya Chnad, Sonepat
2	Thakur Dass s/o Maltone Eram, Sonepat
3	Jagan Nath s/o Hari Chand, Sonepat
4	Hakim Chand s/o Uttam Chand, Gohana, Sonepat
(1977-78)	

1	Sampuran Singh s/o Sunder Singh, Sonepat
2	Arjum Dev s/o Sh. Raghunath, Sonepat
3	Manohar Lal s/os Ram Dita, Sonepat
4	Himat Ram s/o Bidda Ram, Sonepat
5	M/s Krishan Lal Raghu Nath, Sonepat
6	Raghbir Singh s/o Chhattar Singh, Vill. Garhi Sisana, Sonepat
7	Harish Kumar s/os Sant Lal, Sonepat
8	Attam Parkash s/os sadhu ram, Sonepat
9	Sat Pal Singh s/o Santokh Singh, Gohana, Sonepat
10	Ganesh Dass s/o Damodar Dass, Sonepat
11	Madan Lal s/o Vasu Ram, Gohana Sonepat
12	Tara Chand s/o Maru Ram, Vill. Madina, Gohana, Sonepat
13	M/s Ram Dev Param Jit Singh, Sonepat
(1978-79)	
Nil	
Rohtak District (1976-77)	
1	Om prakash s/o Devi lal, Rohtak

2	Om prakash s/o Sahib Dayal, Rohtak
(1977-78)	
1	Jhangi ram s/o Ram Ditta Mal, Rohtak
2	Krishan Lal s/o Harbans Lal, Rohtak
3	Madan Lal s/o Harbans Lal, Rohtak
4	Bhan Singh s/o dalip Singh, Rohtak
5	Harpal Singh s/o Mehar Singh, Bahadurgarh, Rohtak
(1978-79)	
Nil	
Hissar District (1976-77)	
Nil	
(1977-78)	
1	Subash Chand s/o Mittar Sain, G.T. Road, Hansi, District Hissar.
2	Ram Kumar s/o Bishan Lal, new anaj Mandi, Hansi, District, Hissar
3	Dharanm Chand s/o Narian Dass, Fatehabad, District, Hissar
4	Chandu s/o Tulsi Ram, Rattia, District Hissar
5	Ganga jal s/o Manphul, Bus Stand, Hissar

6	Megh ram s/o Kahna Ram, Fatehabad, District Hissar
7	Phul Chand s/o Amar Lal, Vijay Bhawanm Sirsa Raod, Hissar
8	Dalip Singh s/o Nathu Ram, Vill., Badopal, District Hissar
9	Manphool Singh s/o Lal Chand 116 Jawahar Nagar, Hissar
10	Ram Rich Pal s/o Boga Ram Vill. Badopal, Hissar
11	Radha Kishan s/o Chnadu Lal, Mohall Para Gujran, Hissar
12	Het Ram s/o Ranjit, Vill. Mangli, Hissar
13	Jagdish Kumar, s/o Sheo Karan, Bus Stand, Hissar
14	Major Singh s/o Inder Singh, Vill. Meghere, Hissar
15	Partap Singh s/o Het ram, Mohalla Kuiwala, Hissar
16	M/s Mittar Sein and Sons, G.T. road, Hansi
17	Bir Singh s/o Molu Ram, Vill. Balsamand, Hissar
18	Gopi ram s/o Hari ram , Near Bus Stand, Hissar
(1978-79)	
Nil	
Sirsa District (1976-77)	

Nil	
(1977-78)	
1	Jag Jiwan Kumar s/os Ram Nath, Jind NMandi Dabwali Sirsa
2	Ajit Singh s/o Kartar Singh, Begu Road, mela Ground, Sirsa
3	M/s Ranjit Singh s/o Charan Jit Singh, Gobind Nagar, Sirsa
4	M/s ajit Singh, Sardul Singh, Guru Nanak Dev Auto store, Sirsa
5	Umrao singh s/o Piare Singh, 170 Bega Road, Sirsa
6	Harbhajan Singh s/o Harnam Singh Vill. Kairpur, Sirsa
7	Satnam Singh s/o Guru Nanank Singh, Vill. Chak Aryan Sirsa
8	Nathu Ram s/os Harsahai Mal, Gali Nathu Ram, Thanedar Wali Old Sabzi Mandi, Sirsa
(1978-79)	
Nil	
Jind District (1976-77)	
Nil	
(1977-78)	

1	M/s Balbir Singh Chnader Singh, Julana Mandi, District Jind
2	Raj Singh, s/o Wazir Singh Julana, Mandi, District Jind
3	Ram Kishan s/o Kundan Lal, Julana Mandi, District Jind
4	Dalvinder Singh s/o Balbir Singh R/o Kinana , Jind
5	Malak Ramji Dass s/o Nanak Chand Jhanj Gate, Jind
6	Ram Niwas s/o Kapoor Chand, Adarsh Nagar, Narwana, Jind
(1978-79)	
Nil	
Bhiwani District (1976-77)	
Nil	
(1977-78)	
1	Raghbir Singh s/o Kanhya Ram Vill. Sebuwas Charkhi Dadri
2	Murari Lal s/*os Kunj Lal, Railway Road Siwani (Bhiwani)
3	Balbir Singh s/o Balwant Singh, Nehru Road, Bhiwani
4	Dharam singh s/os Hari ram Railway Road, Siwani, Bhiwani
5	Smt. Mena Thukral w/o Lalit Mohan, Gandhi Nagar, Bhiwani

6	Ishwar Singh s/o Amar Singh Vill. Nimri-Bondkalan, Charkhi dadri
(1978-79)	
1	Bram Singh s/o Baktawar Singh, Vill. Bond Kalan, Bhiwani
Mohindergarh district (1976-77)	
Nil	
1	Bhawani Sahai s/os Mohar Singh Near Moti Theatre, Mohindergarh
2	Har Chand Rai s/os Mansa ram, Nai Mandi, Narnaul, Mohindergarh
3	Nihal Singh s/o Nathu ram, Nai Mandi Narnaul, Mohindergarh
4	Balwant Singh s/o Dayal Singh, H.No. 3374, Kishan pura, Rewari District Mohindergarh
5	Siri ram s/o Pura Ram, Ram singh Puras, Rewari
6	M/s Ganpat Singh Gharsi Ram, Nai Mandi, Narnaul
7	Neki Ram s/os Teja ram Vill. Nizampur, District Mohindergarh
8	M/s jagan Lal Lajpat Rai, Vill. Daroli Jat., Mohindergarh
9	Nanank Singh s/os Bawa Viren Dass, 839/A, Mohalla Guru Nanak Pura, Narnaul

(**1978-79)**	
Nil	
Gurgaon District (1976-77)	
Nil	
(1977-78)	
1	Sarbjit Singh s/os Kartar Singh Krishna Colony, Gurgaon
2	Tirlok Chand s/o Dewan Chand, 216/14, Jakampuras
(1978-79)	
Nil	

Construction of bridge in indri Constituency

***1316. Ch. Des Raj:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to State-

(a) Whether there is any proposals under consideration of the Government to construct the bridge on pucca link road leading to village Chandraon in Indri Constituency, and

b) if so, the time by which the aforesaid bridge is likely to be constructed?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh);

(a) Not yet.

(b) The proposal will be considered when funds are available.

Nathpa Jhakri hydel Project

***1317. Ch. Birinder Singh:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to State-

(a) Whether the Government has started negotiations with Himachal Pradesh Government for the Construction of Nathpa Jhakri hydel Project jointly; and

(b) if so, details of the progress, if any, made in the negotiations up till now?

Irrigation & Power Minister (Ch. Rizaq Ram):

(a) Yes, Sir, Government of Haryana had proposed in 1976-77 to the Government of Himachal Pradesh for joint participation in the Nathpa Jhakri hydel Project (H.P.)

(b) In a meeting of the Chief Minister of two states held on 1st February, 1977, it was agreed in principle to execute the project. But, subsequently, in a meeting of the chief Ministers of Haryana, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir held on the 5th February, 1979 under the Chairmanship of Union Minister for Energy, it was decided that this project be included in the Central Sector and executed by the National Hydel Power Corporation. Government of Haryana intends taking up the matter with the Governments of India to secure expeditious action.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in the Haryana State Electricity Board

***1323. Sh. Lehri Singh Mehra:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to State-

(a) the category-wise total number of assistant Linemen, Linemen, Foremen, & Junior Engineers employed in the Haryana State Electricity Board at present;

(b) the number of employees out of those referred to in part (a) above belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and whether this number conforms to the percentage of reservation made for them in the services; and

(c) if not, the reasons therefore together with the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government god this deficiency?

Irrigation & Power Minister (Ch. Rizaq Ram):

(a) The category-wise total number of employees working in the Haryana State Electricity Board as on 30th June, 1979 was as under:-

1	Jr. Engineers	179
2	Linemen	3193
3	Assistant Linemen	8168
4	Foremen	24

(b) The number of employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of those referred in part (a) above, is as under:-

1	Jr. Engineers	13
2	Linemen	403
3	Assistant Linemen	1280
4	Foremen	

While the number in respects Jr. Engineers and Foremen employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has fallen short of the percentages of reservation, the number of Linemen and Assistant Linemen is over and above the reserved share.

(c) The reasons for short fall in case of Jr. Engineers and Linemen is that no employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the lower categories had become due for promotion to these posts. Every effort has been made to accord the necessary reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees and appoint them to these posts as and when suitable persons become available.

अतारांकित प्र न एवं उतर

Industrial Training

282. Ch. Har Swarup Bura: Will the Industries Minister be pleased to State-

(a) Whether there is any proposal under considerations of the Governments to open an I.T.I. at Meham with effect from the next academic session; and

(b) if so, the steps, if any, taken so far in this behalf?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein):

(a) Yes.

(b) Orders for opening of I.T.I. at Meham have been issued.

Market Committee at Meham

283. Ch. Har Swarup Bura: Will the Agriculture Minister be pleased to State-

(a) Whether there is any proposal under considerations of the Governments to set up a Market Committee at Meham; and

(b) If so, the steps taken so far together with the time by which it is likely to be set up?

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh):

(a) A Market Committee duly established under section 11 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, is already functioning at Meham.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

State Advisory Committees

284. Sh. Mool Chand: Will the Finance Minister be pleased to State-

(a) Whether any State Advisory Committee to propagates the philosophy underlying the policy of prohibition in the State has been set up; if so, when and whether it has started functioning's; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the names of its chairmen and members and a copy of its terms of reference and the details of facilities provided to the aforesaid Committee for its proper functioning be laid on the Table of the House?

Finance Minister (Lala Balwant rai Tayal):

(a) Yes, it had been constituted vide notification No. 5315-ET-III-79/37488, dated the 14th September, 1979. The Committee has yet to start functioning.

(b) A copy of the notification, referred to in (a) above, containing the requisites information, is appended at annexure ' A'.

ANNEXURE 'A'

HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXTION DEPARTMENT

Notification

Dated the 14th Sept., 1979

No. 5315--ET-III-79/37488

The Governor of Haryana ids pleased to constitute a State Advisory Committee to propagate philosophy underlying the policy of prohibition in the State comprising the following:-

Official Members		
1	Finance Minister (Excise and Taxation)	Chairman
2	Financial Commissioner Revenue and Secretary to Govt. Haryana, Excise and Taxation Department	Member
3	Commissioner and Secretary to Govt. Haryana, Finance Department	Member
4	Inspector General of Police, Haryana	Member
5	Director, Public Relations, Haryana	Member
6	Director, Public Instruction, Haryana	Member

7	Director, Social Welfare Department, Haryana	Member
8	Director of Panchayats, Haryana	Member
9	Director, Health Services, Haryana	Member
10	Labour Commissioner, Haryana	Member
11	Excise and Taxation Commissioner, Haryana	Member-Secy.
Non-Official Members		
12	Sh. Aditya vesh, M.L.A.	Vice-Chairman
13	Sh. Mange Ram, M.L.A., Jind	Member
14	Sh. Shanker Lal, M.L.A., Sirsa	Member
15	SH. Om Prakash, M.L.A., Sonepat	Member
16	Sh. Mani Ram Sharma, Advicate, Bhiwani	Member
17	Pt. Khushi Ram, Sarvodya Worker and Chairman Sarvodya Nashabandi Samiti, Rewari	Member
18	Babu Jagat saroop, Advocate, Hissar	Member
19	Dr. B.D. Sharma, Ratia, Teh. Fatehabad (Hissar)	Member

(2.) The terms of reference of the Committee shall be as under:-

1. To advise the State Govt., in the matter of implements of prohibition programme;

2. To suggest ways and means for educating the masses and organizing public opinion in favour of prohibition bringing out the necessary propaganda material;

3. To advise the State Governments regarding the measures to be taken for effectives enforcement of the prohibition law;

4. to associate non-official agencies with the programme;

5. To suggest arrangements for promoting the use of healthy and nutrition non-alcoholic drinks such as Neera, Juices etc;

6. To suggest ways and means of assisting all locals' authorities including Panchayat and non-official agencies is undertaking activities in furtherance of Govt. policy of prohibition;

7. To suggest ways and means for providing healthy counter attraction and recreation of the masses for their leisure hours; and

8. To formulate principle on the basis of which resolution of Gram Panchayat Notified Area Committees and

Municipal Committees should be accepted for closure shops in their areas.

(3.) The headquarters of the Committee shall be at Chandigarh, but it can also hold its meeting anywhere in the state of Haryana and in Delhi.

(4.) The members of the committee will draw Traveling Allowance as under:-

(a) The Legislators in their ex-officio capacity under the Punjab Legislative Assembly (Allowances of Members) Act, 1942 and the Rules made there under as in force..

(b) Non-officials other than M.L.A. at one 1st class Railway fare plus incidental allowance and road mileage as well as daily allowance as admissible to a 1st grade Government employee drawing a pay of Rs. 1000/- per month. The other condition laid down in the Punjab T.A. Rules for Government employee will also apply to journeys performed by non-official member except where otherwise provided.

(c) The expenditure on account of T.A. Bills of the non-official members will be paid be the Excise and Taxation Department. The T.A. Bills of the Member of the State Legislature will, however, be countersigned by the Secretary, Haryana Vidhan Sabha.

(d) The Traveling Allowance for attending the meeting of the Committee will allowed from permanent place of residence of the members to the place of the meeting. If, however, a member attends a meeting from a place other than the place of his residence, T.A. will be allowed to him either

from the place of his residence or from the place from where he attends the meeting, whichever is less.

(e) The T.A. and .A. will be admissible to the non-official members (other than M.L.A.) on the production of a certificate to the effect that no T.A. in respect of the journey or D.A. for the period mentioned in the bill has been or will be claimed by him from any other official source.

(f) The expenditure on account of T.A. etc. of non-official members of the committee will be dobitable to the head "252-Secretariat General Services- B-Board of Revenue-Revenue Department". The Officer who operates this budget head will be the Controlling Officer. Officers/Officials connected with this committee shall draw T.A/D.A. in accordance with the rules applicable to them from their Department where they are working.

L.C. Gupta

Financial Commissioner Revenue and

Secretary to Govt. Haryana,

Excise and Taxation Department

Connection of Marooned villages with 'pucca' roads

285. Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Public Works be pleased to State-

(a) Whether there is any scheme under consideration of the Government to connect those villages with

'pucca' roads which Marooned during the floods in Jamuna river; and

(b) Whether vilages Rana Majra, Jalalpur Park, Basic Garhi etc, of tehsil Panipat which also get marooned every year during floods in Jamuna river have been included in the scheme referred to in part (a) above; if so, the time by which these are likely to be connected with pucca roads and, if not, included the reasons therefor?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh):

(a) None for the present.

(b) There is no such scheme. However a road to connect these villages stands included in the draft five years Plan 1978-83. The construction of this road has been deferred for the time being.

Moti Lal Nehru School of Sports

287.Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Transport be pleased to State-

(a) The details of annual expenditure incurred on Moti Lal Nehru School of Sports since it was establishment at Rai in the year 1973:

(b) the total number of students admitted annually to this School and the number of students on roll as on 31st March, 1979 in each class together with the criterion adopted for admission;

(c) Whether any students of this School has won any distinction or medals in games at the National or International level; if so, the name (s) of the student (s) and details of the distinction and medal so won; and

(d) Whether Government proposes to start Yoga classes in the above said School; if so, the steps so far taken in this behalf?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath):

(a) The details of annual expenditure are as under:-

ANNUAL EXPENDITURE

YEAR	M.N.S.S (Senior School)	K.N.S. (Junior School)	Maintenance of land scaping
1972-73	419502.55		
1973-74	971580.37		
1974-75	1048297.23	399615.68	
1975-76	1686016.71	587876.46	247000.00
1976-77	2151624.74	616842.93	266000.00
1977-88	2649995.06	764248.45	210000.00
1978-79	2555931.71	687524.67	200000.00

Total	11482948.37	3056108.19	923000.00

Expenditure on Construction Work (Non-Recurring)

1972-73	900000.00
1973-74	1230000.00
1974-75	5600000.00
1975-76	5488000.00
1976-77	5983000.00
1977-88	3449000.00
1978-79	3150000.00
Total	25800000.00

Statement of students as on 31st March, 1979

Class	Total	Boys	Girls
VII	71	48	23
VIII	68	52	16
IX	67	46	21
X	70	47	23

XI	73	60	13
XII	63	63	
Total	412	316	96

Kamla Nehru School of Sports

I	25	17	8
II	26	17	9
III	25	22	3
IV	25	24	1
V	24	17	7
VI	25	23	2
Total	150	120	30

(ii) Criteria adopted for admission

The admission is made in the class I in Junior School and Class Vii in the Senior School. In the Junior School, selection is made on the basis of written/oral tests in Hindi, English, Arithmetic, General Intelligence test, interview and Medical examination. 25 candidates are selected finally for admission every year according to merit.

An admission test is given to the candidate's seeking admission to class VII in Moti Lal Nehru School

Sports. Those candidates, who qualify the written test, are called for Sports aptitude/physical efficiency test and those candidates who qualify both the tests are called for interview and medical examination. 72 candidates are selected finally for admission every year according to merit. Ten Seats are reserved for outstanding sportsmen.

(c) Sports achievements at the National level:

(i) Junior National Wrestling Championship from 27-4-77 to 29-4-77 Pimpri (Pune)

35 Kg. School No. 85 Rajinder Hooda	Gold Medal
42 Kg. School No. 109 Jagbir Mann	Silver Medal

(ii) All India Rural Sports Meet held at National Stadium, Delhi in 1977.

Athletics 4*300 Relay	4 Silver Medals
Basketball School No. 15 Surya Prakash Basketball School No. 66 Balbir Singh Basketball School No. 181 Amba Charan	3 Bronze Medal

(iii) National Athletics Meet held at Quilon (Kerala) from 1-3-78 to 5-3-78:

School No. 27 Mukesh Sharma	Silver Medal

(iv) National Games-Athletics held at Hyderabad (AP) from 17-2-79 to 22-2-79

School No. 127 Joginder Singh	Bronze Medal

All India Y.M.C.A. Open Swimming Championship held at New Delhi from 4-8-78 to 6-8-78.

S. No. 121 Sudhir Rana	Two Silver Medals
S. No. 69 Tarif Singh	Silver Medal
S. No. 291 Arun Kumar	Bronze Medal
S. No. 274 Rajiv Hooda	Bronze Medal

(vi) All India Y.M.C.A. Open Athletics Meet held at New Delhi from 15-10-77 to 19-10-77

S. No. 205 Santosh Malik	Gold Medal (New record)
S. No. 257 Archana Navat	Bronze Medal
4*100 Mts. Relay Team	4 Gold Medal

All India Y.M.C.A. Boxi9ng Championship held at New Delhi from 28-3-79 to 2-4-79

Sudhir Yadav	Bronze Medal
Rakesh Jhamb	Bronze Medal
Shakil Soni	Bronze Medal
Vipan Jain	Silver Medal

(**viii) All India C.B.S.E. Athletic Met.**

School No. 147 Surinder Chhikara	Silver medal

(d) Yoga

The School has already introduced Yoga Exercise in its curriculum. Steps are underway whereby every student completes the basic course in Yoga before he leaves the School. At present the School has one teacher trained in Yogic Exercise and the School has further secured the services of an expert with advanced knowledge of Yoga through the Sports Department Haryana, for an intensive course in Yoga

Dissolution of Governing Body of Rohtak Medical College

288 Sh. Mool Chand Jain: Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) whether Governing Body of Rohtak Medical College has recently been dissolved; if so, the reasons therefor;

(b) whether new Governing Body has been constituted; if so, the names of the members of the said Body; and

(c) whether the Government has constituted any Committee to amend the M.D. University Act; if so, the names of the Chairman and members of the committee together with the number of meetings so far held?

Health Minister (Smt. Dr. Kamla Verma):

(a) Yes, State Government tollk a policy decision to dissolve al the Boards and Committees set up through Executive Orders. It also decided that Governing Body for the Medical College, Rohtak should be dissolved.

(b) No. However, proposal for setting up a new Governing Body, is under active consideration of Government.

(c) Yes. A committee and a sub-committee have been constituted to amend the M.D. University, Rohtak Act. Names of the Chairman and members of these committees are mentioned in teh attached list. So far only one meeting of the main committee was held on 9-5-1979.

LIST

Main Committee

1	Education Minister, Haryana	Chairman
2	Finance Minister, Haryana	Member
3	Vice-Chancellor, Maharishi Dayanand University, Rohtak	Member
4	Vice-Chancellor, Kurukshetra University, Kurukshetra	Member
5	Vice-Chancellor, Haryana Agricultural University, Hissar	Member
6	Dr. Amrik Singh Cheema, Vice-Chancellor, Punjab Agricultural University, Ludhiana	Member
7	Dr. A.D. Pant, Head of the Department of Political Science, Allahabad University, Allahabad.	Member
8	Dr. Sarup Singh, Member Parliament, 21, Willington Crest, New-Delhi	Member
9	Prof. Daulat Ram, Member, Haryana Public Service Commission, Chandigarh	Member
10	Principal Secretary to Chief Minister, Haryana	Member
11	Secretary to Government Haryana, Education Department	Member Secy.

Sub-Committee		
1	Vice-Chancellor, Maharishi Dayanand University, Rohtak	
2	Vice-Chancellor, Haryana Agricultural University, Hissar.	
3	Vice-Chancellor, Kurukshetra University, Kurukshetra	
4	Dr. Sarup Singh, Member Parliament, 21, Willington Crest, New Delhi.	
5	Prof. Daulat Ram, Member, Haryana Public Service Commission, Chandigarh	
6	Sh. Bhim Singh Dahiya, President, Maharishi Dayanand University Teacher's Association, Rohtak	Convener

Construction of bus stands at Narnaul and Kanina

289. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) whether the State Government has taken any decision regarding the construction of building for bus stands at Narnaul and Kanina; if so, when together witht the time by which the aforesaid Bus-stands are likely to be completed;

(b) the amount sanctioned for the constructin of the buildings as referred to in part(a) above; and

(c) whether land for the said bus-stands has been acquired; if so, the amount spent thereon separately?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath):

(a) Yes. The construction of bus stands at Narnaul and Kanina is in progess. Early completion of these bus stands is expected and Public Works Department (B&R) has been requested to complete the construction works before the close of current financial year.

(b)

(i) Naraul bus stand Rs. 2299600.00

(ii) Kanina bus stand Rs. 789100.00

(c)

(i) Rs. 294917.35 has been spend for acquistion of land for Narnaul bus stand.

(ii) Notified Area Committee, Kanina has given land free of cost for Kanina bus stand.

Link road between Pota and Notana

290. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the link road between village Pota and Notana in district Mohindergarh has been

sanctioned; if so, the time by which it is likely to be completed?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh): Yes. The road is likely to be completed by 31-8-80 subject to availability of funds.

Construction of road between Mohindergarh and Sehlong

291. Roa Dalip Singh: Will the Minister for Public Works be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Road between Mohindergarh and Sehlog via Malra and Bawnan; and

(b) if so, the time by which the aforesaid road is likely to be completed?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh):

(a) (i) No.

(ii) However, a road from Mohindergarh Kanina Lukhi Nahar road to village Bawana via Lawan with a separtte link to village Malra is under construction.

(b) The road at (ii) above will be completed by 31-8-80.

Construction of Link roads in district Mohindergarh

292. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following link roads in District Mohindergarh:-

i. Bhojawas to Gomla;

ii. Rartal to Dhana;

iii. Bhojawas to Sundreh;

iv. Nangal Sirohi to Kheroli;

v. Dholi to Jhankhri;

vi. Ateli to Mohindergarh;

vii. Kothal to Dongra Ahir;

viii. Nangal Sirohi to Deroli Jat;

ix. Jhagroli to Balhini;

x. Mohindergarh to Khurwta;

xi. Khaspur to Khatripur;

xii. Khatripur to Sagarpur;

xiii. Duloth Jat to Silar pur;

xiv. Nangal Sirohi to Kherki ?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh):

i. Yes.

ii. Yes.

iii. No.

iv. Yes.

v. No.

vi. No.

vii. No.

viii. No.

ix. No village named Balhini exists.

x. Road already exists.

xi. No.

xii. No.

xiii. Yes.

xiv. Road already exists except a small gap.

Amount of grants/loans allocated to maharishi Dayanand University

311. Ch. Birinder Singh: Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) the total amount of grants/loans allocated to the Maharishi Dayanand University, Rohtak by the State Government during the years 1978-79 and 1979-80 up till now; and

(b) whether the Government exercises any control over such grants/loans and, if so, the manner thereof?

Education Minister (Swami Agnivesh):

(a) The following amounts wree sanctioned as grant-in-aid to Maharishi Dayanand University, Rohtak during the years 1978-79 and 1979-80:-

(i) 1978-79 Rs. 150.00 Lakhs

(ii) 1979-80 (uptill now) Rs. 157.00 Lakhs

(b) Government exercises control over such grnat through the Examiner Local Fund Accounts who carries out audit of the relevant accounts under the rules framed for the purpose.

Provincialization of Cadres of patwaris of Panchayat Samitis

312. Ch. Partap Singh Thakran: Will the Ministe for Development and Panchayats be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provincialize the cadre of patwaris of Panchayat Samitis in the State; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the time by which teh aforesaid proposal is likely to be materialised and the criteria proposed to be adopted in this behalf?

Development Minister (Rao Ram Narain):

(a) Yes.

(b) Services of all the Patwaris of Panchayat Samitis who were appointed before 1-4-73 and whose 50 percent record was 'good' have been provincialized. The following criteria has been adopted for this purpose:-

Employees should been appinted by the Panchayat Samitis before 1-4-73 and their record should be atleast 50 percent good.

Sub depots and Bus stands at Fatehabad

310. Ch. Peer Chand: Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bus stand at Fatehabad; if so, the time by which it is likely to be constructed; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a sub-depot of the Haryana Roadways at Fatehabad; if so, the time by which it is likely to be set up?

Transport Minister (Sh. Jagan Nath):

(a) Yes. Within few months.

(b) Yes. Before the close of current financial year.

Shifting of H.S.E.B. head quarters

313. Ch. Ude Singh Dalal: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the steps so far taken to shift the H.S.E.B. Headquarters to Hissar and the time by which the shifting is likely to be completed?

Irrigation and Power Minister (Ch. Rizaq Ram): A vigorous programme including construction of essential office and residential accommodation is making good progress. In the meantime, office of the Chief Engineer, P&C alongwith attached circles and division has been functioning from Hissar since September, 1978.

Adulteration and sale of diesel in the black market

314. Ch. Ude Singh Dalal: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) whether the Government is aware of the fact that the dieseal is being adulterated and is also being sold in the black market; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to check the adulteration and sale of diesel in the black market?

Food and Supplies Minister (Ch. Gajraj Bahadur Nagar):

(a) No specific complaint about adulteration of diesel has been received. However, 25 samples of diesel in Kurukshetra district and two samples of Diesel in Ambala district have been drawn by the Police for analysis. As a result

of surprise checks by the district authorities, sixty-six cases of black marketing and other mal-practices have been registered by the Police.

(b) Regulatory measures for the sale, storage and distribution of diesel have been introduced. The distribution of diesel is done under the supervision of the inspectorate staff of the Department to erradicate the chances of black marketing etc. The District authorities conduct regular surprise checks of the dealers dealing in this trade.

Pay Scale of D.S.P.s.

315. Ch. Ude Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether the pay scale of the posts of Deputy Superintendents of Police have been revised in pursuance of the announcement made by the Irrigation & Power Minister on the floor of the House on 29th March, 1979; if so, details thereof; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the pay scales of the posts of Constables and Head Constables in the State?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a) and (b) The case is under consideration with the Government.

अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं

Mr. Speaker: I have a few announcements to make.

(i) सभापतियों की सूची

Mr. Speaker: Under rule 13(1) of the Rules and Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairmen:-

1. Smt. Susma Swaraj;

2. Sh. K.L Poswal;

3. Sh. Sumer Chand Bhatt; and

4. Ch. Har Swarup Bura.

(ii) पैटी ांज कमेटी

(ii) Petitions Committee

Mr. Speaker: Under rule 236(1) of the Rules and Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Committee on petitions:-

1. Kanwar Viaji Pal Singh (Deputy Speaker)-Ex-officio Chairman.

2. Smt. Sushma Swaraj Member

3. Ch. Birinder Singh; Member

4. Sh. Fateh Chand Vij; Member

5. Sardar Sukhdev Singh; Member

(iii) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की चौदहवीं रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना

श्री अध्यक्ष: आनरेबल, मैम्बर्ज, मैंने सदन को सूचित करना है कि हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 224 के अनुसरण में वर्श 1978–79 की पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के चेयरमैन ने, हरियाणा सरकार के वर्श 1974–75 के ऐप्रोप्रिए ान अकाउंट्स और फाइनैंस अकाउंट्स पर तथा भारत के कम्पट्रोलर एंड औडिटर जनरल की (कापोर्रे ांज एंड बोड्र्ज से सम्बन्धित पैराग्राफस छोड़कर) वर्श 1974–75 की रिपोर्ट पर पी.ए.सी. की चौहदवीं रिपोर्ट मुझे पे ा की थी क्योंकि वर्श 1978–79 की कमेटी की टर्म समाप्त हो चुकी थी और यह रिपोर्ट हाउस के सामने नहीं आ सकी थी।

ऊपर बताए गए रूल के अनुसरण में, मैंने वर्श 1978–79 की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चौदहवीं रिपोर्ट को छपवाने के आदे ा दिए थे।

अब मैं इस रिपोर्ट की एक कापी हाउस की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्र न

श्री सुरेन्द्र सिंहः आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, स्पीकर साहब, क्वै चन आवर का क्या रहा ?

Mr. Speaker: Since the time for Question was over (Noise) जो जवाब हैं वे टेबल आफ दि हाउस पर रख दिए गये हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, उन सवालों में कई बहुत जरूरी चीजें थी जिनके बारे में इनफरमे ान हाउस को दी जानी थी।

Mr. Speaker: If there is something important, let me know (Interruptions).

सचिव द्वारा घोशणा

Mr. Speaker: Now the Secretary will make some announcement.

सचिवः मैं उन विधेयकों को द र्ाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने गत बजट सत्र, 1979 में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं:–

1. हरियाणा विनियोग विधेयक, 1979

2. हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक, 1979

3. हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) विधेयक, 1979

4. हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन–भता (सं ाोधन) विधेयक, 1979

5. हरियाणा विधान सभा (सदस्य भता तथा पैं ान) सं ाोधन विधेयक, 1979

6. पंजाब कृशि उपज मण्डी (हरियाणा सं ाोधन) विधेयक, 1979

7. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1979

8. हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा–सुरक्षा) विधेयक, 1979

9. हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं ाोधन) विधेयक, 1979

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मैंने एक एडजर्नमैंट मो ान दी थी, उसका क्या बना ?

श्री अध्यक्षः आपकी एडजर्नमैंट मो ान अभी तक मेरे पास नहीं आई हैं।

श्री मूल चन्द जैनः वह तो सरकुलेट भी हो गई है।

श्री अध्यक्षः वह आने कितने बजे दी थी ?

श्री मूल चन्द जैनः वह मैंने आप दस बजे दी थी।

श्री अध्यक्षः आपने जो एडजर्नमैंट मो ान दस बजे दी है वह एग्जामिन हो रही है। वह अभी तक मुझे पुट–अप नहीं हुई है, पुट–अप होते ही मैं उसके बारे में डिसिजन दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन ान मो ान दी थी और वह सरकुलेट भी हो चुकी है।

Mr. Speaker: It has not come to me.

Sh. Surrender Singh: But is has come to all the members.

Mr. Speaker: I will give my ruling and let you know tomorrow morning.

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन ान मो ान ड्राउट के बारे में दी थी, उसका क्या रहा ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उसका कल जवाब दे दैंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ड्राउट के बारे में जो आपकी काल अटैन ान मो ान है वह एडमिट कर ली जाएगी और कल उसका जवाब दे दिया जाएगा।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

16.00 बजे

Mr. Speaker: I report the time table fixed by the business Advisory Committee in regard to various business-

'The Committee met at 11.00 A.M. on Monday, the 24th September, 1979, in the Chamber of the Speaker.

The Committee, after some discussions, recommended that the Business on the 25th September, 1979, be transacted by the Sabha as follows:-

Tuesday, the 25th September, 1979, at 9.30 a.m.

1. Question Hour.

2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting.

3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.

4. Papers laid on the Table of the House.

5. Legislative Business.

(Legislative business left over, if any,, from the list of business for 24th September, 1979, will be taken up on the 25th September, 1979)

(1) The Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill, 1979.

(2) The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 1979.

(3) The East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill, 1979.

(4) The Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Repealing) Bill, 1979.

(5) The Haryana Public Moneys (Recovery o Dues) Bill, 1979.

(6) The Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1979.

(7) The Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill, 1979

N.B.: the House will adjourn for lunch from 1.30 p.m. to 2.15 p.m. In Case, the business is not completed before 1.30 p.m., the House will resume its sitting at 2.15 p.m. till the business entered in the List of Business for the 25th September, 1979 is completed.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मैंने आपको रिमूव करने के बारे में एक मो ान दी थी उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है ?

श्री अध्यक्षः वह मेरे पास नहीं आई है।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैंने भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक मो ान दी है।

श्री अध्यक्षः वह भी मेरे पास नहीं आई है। When it comes to me, I will give my decision. अब पार्लियामैंट अफेयर्ज के मंत्री एक प्रस्ताव पे ा करेंगे कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की सिफारि ाों से सहमत है।

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move:-

That this House agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

Mr. Speaker: I will give you time. Please do not disturb in the Middle of the business. (Noise). Rise at the proer time.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों से सहमत है।

श्री अध्यक्षः प्र न हैः—

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों से सहमत है।

प्रस्तवा स्वीकृत हुआ

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, आपने वादा किया था कि आप इस मो ान पर मुझे बोलने का टाइम दैंगे।

श्री अध्यक्षः किस मो ान पर ?

श्री मूल चन्द जैनः मैं बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन आपने कहा कि यह मो ान मूव हो लेने दो उसके बाद आपको टाईम मिलेगा। मो ान मूव हो रहा था और मैं यह कहने के लिए खड़ा हो गया कि मैं इस मो ान को अपोज करता हूं।

Mr. Speaker: The motion has already been passed. Once a motion is passed, it connot be re-opened.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आपने फरमाया था कि मो ान मूव हो लेने दो उसके बाद आपको टाइम दूंगा (व्यवधान) इसलिए बराये मेहरबानी आपको इनको टाइम देना चाहिए।

श्री अध्यक्षः मैंने कहा था ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आपने खुद कहा था कि आपको टाईम दूंगा। यह रिकार्ड है कि आपको टाईम दूंगा।

Mr. Speaker: He failed to catch my eye at the appropriate time.

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Local Government Minister (Ch. Khurshed Ahmed): Sir I beg to lay on the Table-

1. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Ordinance 1979. (Haryana Ordinance No. 1 of 1979)

2. The Haryana Taxation (on certain Goods Carried by road) Ordinance 1979, (Haryana Ordinance No. 2 of 1979) along with the order of the Governor of Haryana No. S.O. 94/Const./Art.213/79, dated 21st July 1979 withdrawing the said ordinance.

3. The Haryana Contingency Fund (Amendment) Ordinance 1979 (Haryana Ordinance No. 3 of 1979).

4. The Haryana Land Holdings (Amendment) Ordinance 1979. (Haryana Ordinance No. 4 of 1979)

5. The Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment and Validation) Ordinance 1979 (Haryana Ordinance No. 5 of 1979).

6. The Medical College Rohtak (Repealing) Ordinance 1979 (Haryana Ordinance No. 6 of 1979).

7. The Haryana Board of School Education (Amendment) Ordinance 1979 (Haryana Ordinance No. 7 of 1979).

8. The Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Ordinance 1979 (Haryana Ordinance No. 8 of 1979).

9. The Haryana Housing Board (Amendment) Ordinance 1979 (Haryana Ordinance No. 9 of 1979).

10. The 10th Annual Report Accounts of Haryana State Industrial Development Corporation for the year 1976-77 as required under section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

11. The Annual Report of the Haryana State Board Prevention and Control of Water Pollution for the Year 1977-78 as required under section 39(2) of the (Prevention and Control of Pollution) Act, 1970.

श्री हरफूल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आप इनको कहें कि ये हिन्दी में पढ़े (ाोर)

आवाजें: ये सामने बैठने वाले स्वामी जी रोज यही कहा करते थे कि जो कुछ भी यहां पर पढ़ा जाए, वह हिन्दी में ही पढ़ा जाए। (ाोर)

Mr. Speaker: One at a time please. Ch. Sant Kanwar and Bhagi Ram Ji, please take your seats. यह मसला हाउस के सामने पहले भी कई बार आ चुका है। (ाोर एवं व्यवधान)

आवाजें: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: एक प्वायंट आफ आर्डर तो खत्म होने दीजिये। (ाोर)

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, अगर ये हिन्दी में चाहते हैं तो मैं हिन्दी में ही पढ़ देता हूं (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः साहेबान, हिन्दी और अंग्रेजी का मसला सदन के सामने पिछले सै ान में भी और उससे पिछले सै ान में भी आया था। मैं हर एक मैंबर साहेबान से अपनी व हाउस की तरफ से दरखास्त करता हूं कि जहां तक हो सके हर एक मैम्बर कृपया हिन्दी में ही बोलने का प्रयत्न करें। लेकिन मेरा यह भी फर्ज बनता है कि मैं हाउस के रूलज के बारे में आपको सूचित कर दूं। हाउस में अंग्रेजी, हिन्दी व पंजाबी भाशाओं में से किसी एक भाशा में, हर एक मैम्बर बोल सकता है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, मैं आपकी आज्ञानुसार हिन्दी में ही पढ़ देता हूं।

12. हरियाणा तथा पंजाब कृशि वि ववविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 1977–78 के लिए हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय हिसार की वार्शिक रिपोर्ट।

स्पीकर साहिब, समय के अभाव को देखते हुए मेरी आपसे व हाउस से रिकवैस्ट है कि जितने भी बाकी कागज पत्र सदन की मेज पर रखे जाने वाले हैं, उन सभी को पढ़ा हुआ समझा जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

Mr. Speaker: The folloiwng papers at S. Nos. 13 to 21 will be deemed to have been laid on the Table of the House.

13. राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उप–धारा (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 31–3–78 को समाप्त हुए वर्श के लिए हरियाणा वित्त निगम की 11वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लिखें।

14. राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उप–धारा (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्श के लिए हरियाणा वित्त निगम की 12वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखे।

15. राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 31 मार्च 1978 को समाप्त हुए वर्श के लिए हरियाणा वित्त निगम की लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

16. (1) वर्श 1977–78 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखें।

(2) वर्श 1977–78 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे।

(3) हरियाणा सरकार के वर्श 1977–78 के क्रम ाः (सिविल) तथा (राजस्व प्राप्तियां) के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा–परीक्षक की रिपोर्ट।

17. हरियाणा राजभाशा अधिनियम, 1969 की धारा 7 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार और उसी अधिनियम की धार 3, 4 तथा 5 के अधीन जारी की गई ि ाक्षा तथा भाशा विभाग अधिसूचना सं0 (1) 10/81/78ई0डी0यू0 1(3), दिनांकित 29–3–1979 तथा (2) 10/81/78–ई0डी0यू0 1(3), दिनांकित 8–5–1979।

18. हरियाणा (सडक द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुओं पर) कराधान अध्यादे ा, 1979 (1979 का हरियाणा अध्यादे ा सं0 2) की धारा 20(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उसी अध्यादे ा के अधीन नियम बनाने संबंधी अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 42 एच0ओ02/79/एस0 20/79, दिनांकित 3 मई, 1979।

19. हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 31(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (प्रथम सं ाोधन) नियमावली 1979 के संबंध में अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 33/एच0ए026/72/एस0 31/एम्ड0 (1) 79, दिनांकित 12 अप्रैल, 1979।

20. मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार पंजाब मोटर यान नियमावली,

1940 के सं ाोधनों सहित परिवहन विभाग, हरियाणा की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :–

(1) अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 18/सी0ए0 4–/39 एस0 41/एम्ड (1) 79, दिनांकित 23–2–1979।

(2) अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 23/सी0ए0 4–/39 एस0एस0 24 तथा 41/एम्ड (2) 79, दिनांकित 2–3–1979।

(3) अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 29/सी0ए0 4–/39 एस0एस0 24 तथा 41/एम्ड (3) 79, दिनांकित 23–3–1979।

(4) अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 32/सी0ए0 4–/39 एस0एस0 24 तथा 41/एम्ड (4) 79, दिनांकित 12–4–1979।

(5) अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 36/सी0ए0 4–/39 एस0एस0 24 तथा 41/एम्ड (5) 79, दिनांकित 20–4–1979।

21. हरियाणा चल सम्पति अभिग्रहण तथा अर्ज अधिनियम, 1975 की धारा 18(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा चल सम्पति अधिग्रहण तथा अर्जन नियमावली, 1979 के सम्बन्ध में न्याय–प्र ाासन विभाग अधिसूचना स0 जी0एस0आर0 64/एच0ए0 9/75 एस0 18/79, दिनांकित 7 जुलाई 1979 की एक प्रति।

स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब वित्त मंत्री महोदया हरियाणा कंटेनजेन्सी फण्ड (अमैन्डमैंट) बिली, 1979 पे ा करेंगे और उसकी कंसिड्रे ान के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। जैसा कि आपने अपने सेक्रेटरी साहब से उस एडजर्नमैंट मो ान के बारे में, जो कि श्री मूल चन्द जैन जी ने पे ा किया, पूछा और उन्होंने यह बताया कि आपके कार्यालय में सुबह 10 बजे वह मो ान रिसीव हो गई थीं तो उसके बाद 4 घण्टे आपके पास थे, आप उस बारे में विचार कर सकते थे। अब भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, वह मो ान बड़ी जरूरी है।

The Deputy Speaker is here. He can take the Chair. It isa very urgent matter. I will request the Chair that it should be examined today and taekn up just now.

Mr. Speaker: That is not the only question before the House. (Interruptions and noise) देखिये 10 बजे तो वह एडजर्नमैंट मो ान रिसीव हुआ था। (ोर)

Shri Verender Singh: That I know. We have just received the papers that the session is being adjourned sine die. That is why, we are requesting that the same be taken up just now. (Interruptions)

Mr. Speaker: I will give the decision about its admission or otherwise tomorrow morning, after it has been examined, (Interruptions and noise)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, इस मो ान पर तो आज ही फैसला हो जाना चाहिये। यह बहुत जरूरी मामला है, कल को तो ये सभी अपने अपने घरों का ********** (ाोर)

Mr. Speaker: Please sit down. I will request the hon'ble members to restrict themselves to gentlemanly and reasonable language.

मैं आनरेवल मैंबर साहेबान से यह रिकवैस्ट करूंगा कि यहां पर कोई ऐसा भाब्द इस्तेमाल न करें जो दूसरे किसी मैम्बर को बुरा लगे और जिससे हाउस की डिगनिटी में फर्क पड़े। दूसरी तरह के और भी लफ्ज हैं जो कि उन लफ्जों की जगह पर इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इसलिये उस भाशा में अपने प्वांयट्स फारवर्ड कीजिये जो कि किसी के ऊपर रिफलैक्ट न करते हों।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। आपने जो कुछ कहा, हम आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हैं लेकिन हमने तो ठीक ही लैंग्वेज इस्तेमाल की है।

श्री अध्यक्षः मैंने आपके लिये तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो सबके लिये जनरल बात की है।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, हम तो चीफ मिनिस्टर साहब से रिकवैस्ट करेंगे कि वे इनको समझायें कि ये ठीक भाशा का इस्तेमाल करें। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please sit down. This is not a point of order.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैंने अपने प्वांयट आफ आर्डर पर भी आता हूं। जो एडजर्नमैंट मो ान यहां पर दिया गया है, वह बड़ा ही इम्पार्टेन्ट है। अगर आज ही उसको डिस्कस कर लें तो बैटर होगा। कल को तो भाायद हाउस उठ जाएगा। कल आपके पास भी टाईम नहीं होगा और हमारे पास भी टाईम नहीं होगा। ***

श्री अध्यक्षः नहीं, कल को तो सारा दिन हाउस को चलाएंगे (ाोर)

आवाजें: स्पीकरसाहब, कल को तो ये *** (ाोर)

श्री अध्यक्षः ऐसा कोई भाब्द 'भाग जाएंगे' वगैरह कहा गया है, इसे लिखा न जाए। कोई भी भागेगा नहीं, सब यहीं पर रहेंगे। I will consider the motion. I may or may not admit it, but at this stage, I cannot say anything. I will ask my Secretariat to expedite its examination. After examination, I will give my decision tomorrow morning.

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। बाबू मूल चन्द जैन जी ने एक एडजर्नमैंट मो ान हाउस के सामने पे ा की है, वह बड़ी जरूरी मो ान है। जब कोई ऐसी जरूरी एडजर्नमैंट मो ान हाउस के सामने पे ा की जाती है तो हाउस के सारे बाकी कामों को छोड़कर उस पर विचार किया

जाता है। जब प्रदे ा के अन्दर कोई ऐसा वाक्या हुआ हो तो सदन में उस पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिये। यह एडजर्नमैंट मो ान इसलिये पे ा की गयी कि ऐमरजेन्सी के अन्दर जिन लोगों ने आपके ऊपर, इस प्रदे ा की जनता के ऊपर, इस प्रदे ा के मासूम नौजवानों के ऊपर जुल्म किया था, उन एमरजेन्सी लगाने वालौं के साथ इस @@@ की है और ऐसा करके इस प्रदे ा की जनता के साथ धोखा किया है। अतः इस इस एडजर्नमेन्ट मो ान को आज ही मन्जूर किया जाना चाहिये और इस पर आज ही विचार किया जाना चाहिय। (ाोर)

आवाजें: स्पीकर साहब, यह ठीक है आज ही इस एडजर्नमैंट मो ान पर हाउस में बहस होनी चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः साहेबाद, मैंने आप की बात सुन ली है। आप जरा मुझे बोलने का मौका तो दें (ाोर एवं व्यवधान) आपका कहना दुरस्त है कि एडजर्नमैंट मो ान एकदम कन्सिडर होना चाहिए। एक दुफा एडजर्नमैंट मो ान अगर एडमिट हो जाता है तो वह फौरन कन्सडर किया जाता है। आपने जो मो ान दिया है उसको भाान्तिपूर्वक एग्जामिन किया जाएगा और उसके एडमि ान या नान–एडमि ान का जो फैसला होगा उसके ऊपर एकदम कार्यवाही की जाएगी। (ाोर)

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब यह सुबह 10 बजे का दिया हुआ है। इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है कि अभी तक यह आपके सामने नहीं आया है। आपके दफ्तर वालों को चाहिए था कि इसे उसी वक्त आपके पास पुट–अप करते। इसका मतलब यह है कि वह मो ान *** लगा दिया गया है। (ाोर)

Mr. Speaker: I will instruct my Secretariat to expedite the examination of this adjourment motion.

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: **********

श्री अध्यक्ष: हरियाणा विधान सभा में जो कागज आता है वह कोल्ड स्टोरेज में कतई नहीं रखा जाता। यह प्वायंट रिकार्ड नहीं होगा। जब से मैं स्पीकर हूं हर मामला फौरन एग्जामिन किया जाता है और उस पर भीघ्र ही फैसला देता हूं, मैं ज्यादा टाईम नहीं लगाता।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। यहां डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए हैं अगर थोड़ी तकलीफ गवारा कर लें तो अपने चैम्बर में बाजकर बातचीत कर लें क्योंकि वहां पर भाान्ति है। वहां पर यह मामला एग्जामिन हो सकता है। आपकी गैर हाजिरी में डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर बैठ जाएंगे। (ाोर)

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, आप इसको अभी एग्जामिन करवा सकते हैं। (ाोर)

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी एक आनरेबल मैम्बर ने प्वायंट आफ आर्डर पर बोलते हुए एक बात कही कि @@ ने किसी चीज की @@@ की है। मैं कहता हूं कि यह गलत बात है, इसको एक्सपंज किया जाये। सरकार ने कोई *** नहीं की। इसलिए यह एक्सपंज किया जाए। (ाोर)

आवाजें: यह बात सही है (ाोर)

Mr. Speaker: This should be expunged.

चौधरी हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं आधे घंटे से आपकी मुबारिक जुबान से एक सुन रहा हूं और वह है इन्टैगरिटी और डिगनिटी की। असल बात यह है कि हाउस ठीक है लेकिन यहां इन्टैगरिटी और डिगनिटी बहुत कम है। मैं चाहता हूं किस इसको बार बार रिपीट न करके हाउस में इसी को ही बचाया जाये, यही मेरी आपसे दर्खास्त है। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: हाउस के जितने मैम्बर साहेबान हैं उनकी इन्टैगरिटी और डिगनिटी के बारे में मुझे कोइ भाक नहीं है। Unless something is brought forward and proved, I have no doubt about the integrity and dignity of any hon. Member of this House.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि जो एडजर्नमैंट मो ान बाबू मूल चन्द जैन जी ने पे ा किया था वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस सम्बन्ध

में चौधरी भजन लाल जी ने रेड्डी कमि ान के सामने (ाोर) भापथ ली थी और अब उन्हीं केसों को रेप किया जा रहा है। इनको रेप करने से बचाया जाये (ाोर)

Mr. Speaker: This is not point of order. I will request you to restrict your point of order to the business concerning the House and not to any general point.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, अभी रूलिंग पार्टी के एक सदस्य ने रिकवैस्ट की थी कि किसी मैंबर ने मुकद्दमें वापिस लेने में **** के भाब्द इस्तेमाल किये हैं। हमें यह पता नहीं चला कि उस पर आपने क्या हुक्म दिया है ?

श्री अध्यक्षः उस पर मैंने यह हुक्म दिया है कि अगर गवर्नमैंट के बारे में कहा गया है कि उसने सौदेबाजी की है तो वह एक्सपंज कर दिया जाए (ाोर)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मेरा तो मो ान ही उसी के बारे में है अगर आपने पहले ही यह फ ैसला दे दिया है तो उसको क्या बनेगा ? (ाोर)

श्री अध्यक्षः बाबू मूल चन्द जैन जी आप तो वकील हैं और मैं एक सिपाही हूं लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि ऐसा चार्ज जब प्रूव हो जाए तब आप कह सकते हैं कि गवर्नमैंट ने सौदेबाजी की है। लेकिन एडजर्नमैंट मो ान अभी एडमिट नहीं

हुआ है, अभी उस पर गौर नहीं हुआ है तो उससे पहले ही अगर आप कहेंगे कि गवर्नमैंट ने सौदेबाजी की है तो वह मैं एक्सैप्ट नहीं करूंगा। I will get it expunged, (Interruptions) Hon. Members only point of order pertaining to the business of the House will be accepted.

I will now request the Hon. Finance Minister to introduce the Haryana Contigency Fund (Amendment) Bill, 1979 (Noise).

चौधरी हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आपने कहा था कि जो भी मो ान मेरे पास आता है, मैं उस पर तुरन्त विचार करता हूं। लेकिन यह मो ान आज सुबह 10 बजे का दिया हुआ है और अब 4 बजे तक उस पर कोई विचार भी नहीं हुआ है ? (ाोर)

श्री अध्यक्षः सैक्रेटेरिएट को हर ऐसी चीज को रूल्ज के अनुसार एग्जामिन करना पड़ता है इसलिए वह अभी तक मेरे पास नहीं आ पाया है। जब वह मेरे पास आएगा, मैं उस पर फौरन विचार करूंगा।

चौधरी हुकम सिंहः आप यह तो वि वास दिलवा दें कि वह कल को हाउस के सामने आ जाएगा कहीं ऐसा न हो कि कल भी न आए ? (ाोर)

श्री अध्यक्षः कल सुबह उसके ऊपर मेरा फैसला जरूर आपके सामने आ जाएगा।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, आप हमें यह अ योरेंस दिलवाएं कि कल सुबह ये लोग यहां आएंगे।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): कल सै ान चलेगा और हम लोग यहां पर आएंगे। यह बात मैं बिलकुल गारन्टी से कहता हूं। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मैं आपसे यह रिकवैस्ट करना चाहता हूं कि हमने आप भी भाामिल हैं और थोड़े से आदमियों को छोड़ कर सारा हाउस भी भाामिल है, हरियाणा के लोगों से एक वायदा किया था कि हम कानून की सरकार चलायेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा हूं कि हमने यह वायदा किया था कि हम काननू की सरकार चलायेंगे और भाांति से सारा काम करेंगे। इसलिये मैं आपसे रिकवैस्ट करता हूं कि हर बिली पर और हर मौके पर हर एक मैम्बर को बोलने का पूरा पूरा मौका दिया जाये। जिस बिल पर सदन को आपति नहीं होगी। वह पास हो जाएगा और जिस पर आपति होगी। वह पास नहीं होगा। लेकिन अगर जल्दबाजी होती है तो वहीं कांग्रेस राज वाली बात होगी कि रात को यहीं पर रोटी भी मंगवा ली और चाय भी मंगवा ली और सारे बिल पास

कर दिये। इसलिये मैं आपसे रिकवैस्ट करूंगा कि उस सिस्टम को लागू मत होने देना। (ाोर)

दि हरियाणा कंटिनजैंसी फंड (अमैंडमैंट) बिल, 1979

Mr. Speaker: Hon. Finance Minister may please introduce the Bill.

Finance Minister (Lala Balwant Rai Tayal): Sir, I introduce the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill, 1979.

इस विधेयक द्वारा हरियाणा राज्य की आकस्मिक निधि को तीन करोड़ रुपए से बढ़ा कर 10 करोड़ रुपए की रा ि। अपर्याप्त पाई गई।

I now move-

That the Harayna Contingency Fund (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है अभी फार दि इन्ट्रोडक ान आफ दि बिल के लिये हाउस की इजाजत नहीं ली गई है और उन्होंने उसकी कंसिड्रे ान के लिये भी मूव कर दिया और उसकी डिटेल पढ़ने लगे। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि बिल को इन्ट्राड्यस करने से पहले हाउस की इजाजत ली जाए फिर उसके बाद .....

श्री अध्यक्षः लीव टू इन्ट्रोड्यस की कोई आव यकता नहीं है। because I have relaxed that condition. (विघ्न)

Motion moved-

That the Harayna Contingency Fund (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): **********

श्री अध्यक्षः बाब जी आप इस बिल पर ही बोलिये। This is not to be recorded.

श्री मूल चन्द जैनः मैं बिल पर ही बोल रहा हूं (ाोर) स्पीकर साहब, यह जो रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनेस है, यह आपकी एप्रुवल से बने हैं। इनका एक रूल 122 है, एक रूल है 151 और एक रूल 121 है। इनमें यह लिखा हुआ है कि किसी बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत लेने से पहले 15 दिन का टाईम चाहिए। मैं यह बात भी जानता हूं कि स्पीकर को इस बात का अधिकार है कि अगर वे इस बात की इजाजत दें तो वह रूल रिलैक्स हो जाता है जिसके तहत 15 दिन का टाईम चाहिए। स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से हालात थे जिनके तहत हमारे इस आगस्त हाउस के स्पीकर ने इसको रिलैक्स किया। अगली बात यह है कि बहस करने से पहले 5 दिन का मौका चाहिए और फिर सदस्यौं को यह भी अधिकार है कि वे किसी भी बिल पर जो अमैंडमैंट देना चाहे दे दें। वह दो

दिन पहले देनी चाहिए। मैं ट्रेजरी बैन्चिज से भी आपके आफिस से भी और मेरी गुस्ताखी माफ करें कि मैं आपसे भी पूंछू कि यह हो क्या रहा है ?6–7 बिल आज हमाारे सामने आ गये हैं। यह बिल पहली दफा हरियाणा गवर्नमैंट गजट में 21–9–79 को छपा है (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठ जाइए। साहेबान मैं अपनी रूलिंग पर कोई क्वै चन आन्सर सुनने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि जब श्री मूल चन्द जैन जी मिनिस्टिर थे तो आखिरी मिनट पर इनके कम से कम 10 बिल आए थे। (थम्पिंग व भाोर)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मैं अगली बात पर आ रहा हूं। यह तो मैंने बाई दि वे कह दिया था। अगली बात यह है कि बहस करने से पहले कम से कम 5 दिन का मौका चाहिए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः **********

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसी बिल पर बहस करने से पहले 5 दिन की मोहलत चाहिए। यह बिल पहली दफा 21 सितम्बर को हरियाणा गवर्नमैंट की गजट में छपा। आज 24 तारीख है, हमको आपने 5 दिन की भी मोहलत नहीं दी। क्या आपने यह प्रोवीजन भी रिलैक्स कर दिया है ?

श्री अध्यक्षः इसका आर्डिनैंस 21–4–79 को हुआ था। आप खुद देख लें कि 21 अप्रैल से 5 दिन तो क्या भाायद 5 महीने से भी ज्यादा टाईम आपको मिला है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, 21–4–79 को तो आर्डिनैंस हुआ था। मैं आपको गारन्टी के साथ कह रहा हूं कि यह बिल पहली दफा 21 सितम्बर को हरियाणा गवर्नमैंट गजट में छपा था। अगर यह बात गलत हो तो लीडर आफ दि हाउस बैठे और खुद फाइनैंसे मिनिसटर बैठे हैं, वे इसकीद तरदीद कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इस वक्त यह बिल कंसिड्रे ान की स्टेज पर है और जो एतराज करे काबिल दोस्त उठा रहे हैं, वह एतराज बिल की इन्ट्रोडक ान की स्टेज के हैं। अब यह बिल कंसिड्रे ान की स्टेज पर है और जनाब की रूलिंग भी आ चुकी है कि इस पर इस वक्त कोई एतराज नहीं उठा सकता वह स्टेज जा चुकी है और इस वक्त यह बात इररैलेवैंट हैं।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, आप रूल 129 देंखे।

Mr. Speaker: Rule 129 refers to the motion after introduction.

Shri Mool Chand Jain: Speaker Sahib, I read rule 129, which says-

"When a Bill is introduced or on some subsequent occasion the member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill."

(a) That it be taken into condsideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified; ....."

Now I read the proviso-

"Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for five clear days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail ....."

श्री अध्यक्षः आप आगे भी पढ़िए।

श्री मूल चन्दप जैनः आगे यह लिखा हैः— "unless the Speaker allows the motion to be made."

Mr. Speaker: I have allowed this motion to come before the House क्योंकि इसका आर्डिनैंस हो चुका था। बेसिकली तो वही चीज है।

Shri Mool Chand Jain: Do I understand कि आपके बिल की इन्ट्रोडक ान की भी इजाजत दे दी और इन्ट्रोडक ान से जो सबसीक्विैंट स्टेज थी जो रूल 129 में कन्टैम्पलेटिड है, उसकी भी इजाजत दे दी। यह अगर ऐसा है तो सैक्रेटरी साहब पढ़ कर सुना दें। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है।

Mr. Speaker: I will not allow any question on my ruling.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं .....

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को कहूंगा कि कृपा करके एक समय में ही जितने इनके प्वायंटस आफ आर्डर हैं वे कह दें। यह एक एक करके रिजैक्ट होते चले जाते हैं ओर ये एक एक करके बोलते जाते हैं (ाोर)

श्री अध्यक्षः मैं तो समझता था कि ये बिल पर बोल रहे हैं।

श्री बलदेव तायलः यह कोई डिस्क ान नहीं है, ये प्वायंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः बाबू जी, आप प्वायंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं या बिल पर बोंल रहे हैं ? (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, जब मैं आपको बोलने के लिये कहता हूं तब तो आप कहते हैं कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं होगा। बाबू जी

आप प्वायंट आफ आर्डर रेंज कर रहे हैं या बिल पर डिस्क ान कर रहे हैं ।

श्री मूल चन्द जैनः इन्होंने जो कंसिड्रे ान की मो ान पेश की है, मैं उस मो ान को अपोज कर रहा हूं। इनकी कंसिड्रे ान की मो ान रूल 129 के अनुसार इन आर्डर नहीं है और ये मो ान नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने बिल की कापी सदस्यों को देने के लिये 5 दिन का टाइम नहीं दिया।

श्री अध्यक्षः बाबू जी वह कंडी ज्ञन मैंने रिलैक्स कर दी है।

श्री मूल चन्द जैनः क्या आपने ओरली रिलैक्स कर दी है ?

श्री अध्यक्षः केवल वही रिलैक्स किया है और नहीं किया। (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, देखिए आपने तो सिर्फ .....

श्री अध्यक्षः लीव फार इन्ट्रोडक ान और जो भी उससे सम्बन्धित रूल्ज हैं वे रिलैक्स किए हैं क्योंकि आर्डिनैंस आया हुआ थां यह वे सिकली वही चीज है जिसका आर्डिनैंस आया हुआ है। आर्डिनैंस भी आपका ही लाया हुआ है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, इस आर्डिनैंस से या बिल से हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें तो जो राही कसूती पड़ रही है, उससे घबराहट है। (व्यवधान एवं भाोर) स्पीकर साहब, इस बिल के आगे जो और बिल सदन में आ रहे हैं वे और भी कंट्रीवर्सियल हैं जिन के जरिये ये नाजायज अख्यिारात ले रहे हैं। संविधान इन बिलों को लाने की इजाजत नहीं देता। अगर यह बिल ऐसे ही पास हो गया तो उन बिलों के बारे में हम आपसे क्या कहेंगे (व्यवधान) अगर ये इसी तरीके से करते जायेंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप इस समय इस बिल की बात कीजिए और बिलों की बात न कीजिए। (ाोर)

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी ि ाव राम वर्मा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। यह आर्डिनैंस जैन साहब का जारी किया हुआ है। इनको पैदा किया हुआ बच्चा हमें पालना पड़ रहा है! (हंसी एवं भाोर) इस मो ान को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now consider the Bill clause by clause.

Clause 2

श्री वीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, श्री मूल चन्द जैन .....

श्री अध्यक्षः आप क्लाज 2 पर बोलें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः क्लाज 2 पर हम तब बोलें अगर पहली मो ान ठीक तरह से हो ? (व्यवधान एवं भाोर) जब पहली मो ान ही गलत तरीके से हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपके दृश्टिकोण से गलत हो सकती है, लेकिन जब हाउस ने मोा ान पास कर दी है तो कैसे गलत हो सकती है ? (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, इनका ही दृश्टिकोण गलत है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stande part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stande part of the Bill.

The motion was carried.

श्री मूल चन्द जैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान) मैं सिर्फ एक फिकरा कहूंगा। हाउस में जो यहां पर 'आयज' और 'नोज' हो रहा है, इससे आप कैसे अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस साईड के जीते, किसके हारे। (व्यवधान) हम डिवीजन क्लेम कर रहे हैं, आप डिवीजन करवायें, इन हालात में कोई नहीं कह सकता कि किसकी मैजोरिटी है, किसकी माइनोरिटी है ? आप डिवीजन से इन हालात में कैसे इन्कार कर सकते हैं ? (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवाः अब करवा लो ? (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः जो मैं रूलिंग दे रहा हूं, उस पर मुझे कतई डाउट नही हैं मैं यह मानता हूं कि आपको डिविजन क्लेम करने का अख्तियार है लेकिन जो डिसीजन दिया है वह बिलकुल करैक्ट है। I would request Shri Mool Chand Jain not to interrupt the proceedings for no rhyme or reason. He may please take his seat.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stande part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

The Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.(Noise)

Finance Minister (Lala Balwant Rai Tayal): Sir, I beg to move-

That the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

(Noise and slogan raising by Chaudhri Satn Kanwar and several other members of his group)

रूल 104 का निलम्बन तथा सर्वश्री संत कंवर और वीरेन्द्र सिंह का निलम्बन

Mr. Speaker: Mr. Sant Kanwar, please take your seat and do not interrupt the proceedings. My ruling is final. The time of the House need not be wasted.

(इस समय चौधरी सन्त कंवर हाउस की टेबल के पास आ गए तथा नारे लगाते रहे)

Mr. Speaker: I name Chaudhri Sant Kanwar. He may please withdraw from the House.

(Chaudhri Sant Kanwar did not leave the House and continued rarising slogans).

Mr. Speaker: Remove him from the House.

(At this stage the Serjeant-at-Arms went to the Hon. Member, Chaudhri Sant Kanwar who was joined by other memers of his group in raising slogans, Shri Verender Singh particularly was taking very active part in raising slogans)

Mr. Speaker: I name Chaudhri Verende Singh. He may also leave the House)

(The Hon. Member did not leave the House)

Mr. Speaker: Both the hon. Members who have been named should leave the House.

(Both the members namely, Sarvshri Sant Kanwar and Verender Singh continued standing near the Table of the House and did not leave the House.)

Mr. Speaker: I order that Chaudhri Verender Singh be also removed from the House.

(The Serjeant-at-Arms requested both the members to leave the House but they did not do so and continued to be surrounded by other members)

Chaudhri Ram Lal Wadwa: I give notice of a motion for the suspenstion of Rule 104 in its application to the motion regarding suspenstion of Sarvshri Sant Kanwar and Verender Singh and their suspenstion from the service of the House for the remainder of the session for continued defiance of the orders of the Speaker.

Mr. Speaker: I accept the motion. (Noise and Interruptions)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): Sir, I beg to move-

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the suspention of Sarvshri Sant Kanwar and Verencer Singh.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be

suspended in its application to the motion regarding the suspention of Sarvshri Sant Kanwar and Verencer Singh.

Mr. Speaker: Question is-

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the suspention of Sarvshri Sant Kanwar and Verencer Singh.

The motion was carried. (Noise and Interruptions)

Chaudhri Ram lal Wadwa (Karnal): Sir, I beg to move-

That Sarvshri Sant Kanwar and Verender Singh, Members of this House having been named by the Speaker did not withdraw from the House and continued to defy his orders. They committed gross contempt of the House and breach of privilege. This House suspends them for the rest of the session and directs the aforesaid Members to absent themselves from the meetings of this House for the remainder of the present session.

(Noise and interruptions)

Mr. Speaker: Motion moved-

That Sarvshri Sant Kanwar and Verender Singh, Members of this House having been named by the Speaker did not withdraw from the House and continued to defy his orders. They committed gross contempt of the House and breach of privilege. This House suspends them for the rest of the session and directs the aforesaid Members to absent themselves from

the meetings of this House for the remainder of the present session.

Mr. Speaker: Question is-

That Sarvshri Sant Kanwar and Verender Singh, Members of this House having been named by the Speaker did not withdraw from the House and continued to defy his orders. They committed gross contempt of the House and breach of privilege. This House suspends them for the rest of the session and directs the aforesaid Members to absent themselves from the meetings of this House for the remainder of the present session.

The motion was carried. (Noise and Interruptions)

Mr. Speaker: Both Sarvshri Sant Kanwar and Verender Singh stand suspended for the remainder of the session. They should leave the House.

(Both the members did not withdraw and there was a great noise)

बैठक का निलम्बन

Mr. Speaker: I adjourn the House for half-an-hour.

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 5.15 p.m.)

निलम्बित सदस्यों का सदन के निर्णय के पालन हेतु

सदन से बाहर जाना

श्री अध्यक्षः देखिए साहेबान जो मैम्बर्ज हाउस से सस्पैन्ड कर दिये गये हैं they must leave the House (Interruptions) स्वामी जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

ि ाक्षा मन्त्री (स्वामी अग्निवे ा): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में इत्तफाक से कुछ इस प्रकार की बाते हो रही हैं जो सदन के लिये भाोभाजनक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इसको हम सभी मैंम्बर अनुभव कर रहे हैं कि यदि सदन में इसी प्रकार से हम चलैंगे तो जनता के प्रति जो हमारे वायदें हैं, उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगें (ाोर)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, अभी स्वामी जी ने बताया कि उनको जनता के प्रति और सदन की कार्यवाही के प्रति कितना दर्द है। स्वामी जी को हरियाणा की जनता की सेवा करने का तो बड़ा दर्द है लेकिन आन्ध्रप्रदे ा की जनता भी उनके लिये रो रही है। उस प्रदे ा की तो इन्होंनें सेवा कर दी, अब इनको हरियाणा प्रदे ा की सेवा करने का दर्द है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, आप तो थके हुए हैं इसलिये आपको रैस्ट करना चाहिए। पहले भी आप बीच में रैस्ट करते थे, इसलिये आज भी आपको रैस्ट करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः आप लोगों ने आज इस बात पर बहुत जोर दे रखा है। श्री वीरेन्द्र सिंह जी इसी बात पर जोर दे रहे थे और आप भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। (ाोर)

श्री लछमन सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं सिर्फ दो मिनट लेना चाहता हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः क्या आप स्वामी जी वाली बात के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लछमन सिंह' स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि आपने पार्लियामैंट के आनरेबल मैंम्बर्ज को भी देखा होगा कि वे स्पीकर साहब से अर्ज कर सकते हैं। मैं आप पर ये कोई एस्प्र ान नहीं कर रहा हूं, हम भी आपसे अपील कर सकते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अगर आप मेरे से अपील करना चाहते हैं तो मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिल लेना।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, आज आपने रैस्ट नहीं किया, आपने कोई छुट्टी नहीं की, इसलिये आप रैस्ट कर लें।

श्री अध्यक्षः आप मेरे चैम्बर में आयें, आपको गर्म चाय पिलाई जायेगी।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, आप हाउस की कार्यवाही भाुरू करने से पूर्व उन मैम्बरान को हाउस से बाहर

निकालें, जिनको हाउस ने सस्पैन्ड कर दिया है। वे अब भी हाउस में बैठे हुए हैं।

स्वामी अग्निवे I: स्पीकर साहब, अगर ये भाई मेरी पूरी बात सुनेंगे तो किसी को कोई ि ाकायत नहीं हो सकेगी। कुछ समय पूर्व हमारे वरिश्ठ सदस्य राव बीरेन्द्र सिंह जी ने सुझाव दिया था कि सदन की कार्यवाही ठीक प्रकार से चलाने के लिये, कुछ साथी अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बैठ कर डिस्कस कर लें और अध्यक्ष महोदय को हम आ वासन दे दें कि हम याहं पर किसी प्रकार की गड़बड़ी करने के लिये नहीं आये हैं बल्कि जनता की सेवा करने के लिये आये हैं ऐसा करने से हाउस की कार्यवाही चालने में काफी सुविधा हो जायेगी। यदि आप इसमें कुछ सं ाोधन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाबू मूल चन्द जैन, राव बीरेन्द्र सिंह हमारे दल के नेता चौधरी भजन लाल और दो तीन साथी जिनको आप उचित समझें अध्यक्ष महोदय के कमरे में बैठ कर विचार विम र्ा कर लें। सब अपनी अपनी राय दे दें। संविधान में जो नियम बनाये हुए हैं, वे न हमने बनाये हैं और न ही आपने बनाये हैं वे पहले से चले आ रहे हैं उन पर हम सब अमल करें ताकि सदन की कार्यवाही सुविधापूर्वक चल सके। ऐसा करने से सभी को आसानी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव स्वामी जी ने रखा है उससे पहले राव बीरेन्द्र सिंह जी भी यही बात कह चुके हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, आपकी तरफ से आ वासन दिलाये

जाने पर कि हाउस की कार्यवाही भाान्तिपूर्वक चलेगी, मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोि ा ा करूंगा और गवर्नमैंट से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि जो रैजोल्यू ांज मैम्बर्ज को सस्पैन्ड करने के पास हुए हैं, उनको वापिस लेने की कोि ा ा करें। मैं ये बातें उन्हीं हालात में करूंगा अगर मेरे को यह आ वासन दिलाया जाता है कि हाउस की कार्यवाही भाान्तिपूर्वक और डिस्पिलन मैं चलेगी। जो भी आप प्रस्ताव पास करेंगे मैं उस पर हमे ाा गौर करने के लिये तैयार हूं और आनरेबल मैम्बरान को आ वासन दिलाना चाहता हूं कि बिल पर गौर किया जा रहा है या आब्सट्रक ान क्रिएट करने की कोि ा ा की जा रही हैं मैं तो आप साथियों से यही रिक्वैस्ट कूर सकता हूं कि बिल पर आप अच्छे सुझाव लायें लेकिन आब्सट्रैक ान पैदा न करें और न ही हाउस का वक्त जाया करें। इसके अलावा मैं बाबू मूल चन्द जैन जी से, राव बीरेन्द्र सिंह जी से और लीडर आफ दि हाउस से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे अपने ख्यालात का इजहार करें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, राव साहब ने और स्वामी अग्निवे ा जी ने बहुत अच्छी बाते कही हैं और आपने भी ठीक बात कही है। आज भााम तक सै ान चलेगा उसके दौरान वे अपना कन्डक्ट ठीक दिखायें तो कल सुबह इस बात पर विचार किया जा सकता है अगर आज की कार्यवाही में बाधा डालने की कोि ा ा करेंगे तो कल इस प्वायंट पर कोई विचार नहीं हो सकता। वे साबित करके दिखायें कि आज सदन के

सामने जो काम है उसको ठीक तरह से करने देंगे और उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे। जिस माननीय सदस्यों ने बोलना है वे तरीके से बोलें। आज सारे हरियाणा की जनता किसानों की ओर देख रही है। अकाल पड़ने से किसानों की दुर्द ाा हो रही है लेकिन यहां जिस तरह का वातावरण बनाया हुआ है। ऐसा वातावरण हरियाणा असैम्बली में पहले कभी नहीं हुआ। यह बड़ा भारी वाक्या है। (श्री कंवल सिंह की ओर से विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप भााान्ति से बैठिए, आपको बोलने का मौका देंगे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे भााान्ति से काम करने दें। हमारे कुछ साथी नये भी हैं, नये साथियों को पुराने साथियों से सबक लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। सारा हरियाणा प्रान्त आप लोगों की ओर देख रहा है और प्रैस भी हमारी तरफ देख रहा है। (ाोर) श्री कंवल सिंह जी की ओर से विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप बैठिएं लीडर आफ दि हाउस बोल रहे हैं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, आप अन्दाजा लगाइये कि ये किस प्रकार से दखलअन्दाजी कर रहे हैं।

Mr. Speaker: Now I would request Rao Birender Singh to express his opinion on this matter.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी रिजक राम): स्पीकर साहब, दो मिनट के लिये आप मुझे भी टाईम दे दें। उसके बाद राव साहब को टाईम दे देना। (ाोर)

श्री अध्यक्षः ठीक है पहले आप बोल लें।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, जो सुझाव राव बीरेन्द्र सिंह जी, स्वामी अग्निवे ा जी अपने लीडर आफ दि हाउस ने रखा है, मैं उसके बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस की और स्पीकी की डिगनिटी को बहाल रखना, कायम रखना सभी मैम्बरान का फर्ज है। जो मैम्बर्ज सस्पैन्ड या नेम कर दिये गये हैं वे डिगनिफाई वे मैं अपना कन्डक्ट दिखाएं कि वे उस रेजोल्यू ान को आनर करते हैं। उसके बाद आप लीडर आफ दि हाउस और अपोजी ान के साथियों को बुला लें लेकिन इस बात में कोई जिद्द नहीं होनी चाहिए कि हाउस में जो मो ान अडाप्ट किया गया है उसको वे डिफायी करें। अगर मो ान को डिफायी करके वे हाउस में बैठे रहते हैं तो उसमें कोई भाान नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि पहले वे ग्रेसफुली हाउस के फैसले को मानें और फिर उसके बाद आप सभी को बुला लें और उनसे बात कर लें। यहां किसी मैम्बर की हकतलफी, डिस रिस्पैक्ट या बेइज्जती करने का मुद्दा नहीं है। इसभी मैंबरों का बराबर अधिकार है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः कोई भी बात जो मेरी इजाजत के बिना बोली जाये न लिखी जाएं जिनको मैं बोलने की इजाजत देता हूं

उनकी ही बातें लिखी जायें। देखिए, इसमें आपका भी इन्ट्रैस्ट है और मेरा भी है कि हाउस की इज्जत बढ़े। जो सुझाव पहले राव बीरेन्द्र सिंह जी ने रखा है, फिर स्वामी जी ने भी उसको स्पोर्ट किया है, उसके ऊपर आप गौर करें। अगर फिर भी आप आब्स्ट्रक्ट करते हैं तो आपकी मर्जी है। पहलें पांच मिनट के लिये राव बीरेन्द्र सिंह जी बोलेंगे और फिर बाबू मूल चन्द जैन जी बोलेंगे। उसके बाद जो भी किसी ने कुछ कहना है वह कह लें। इनके बोलने के बाद ही कोई कार्यवाही की जायेगी।

चौधरी रिज़क रामः स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि जो यलिंग आपने दी है और जो मो ान अडाप्ट किया गया है उसके रैफरैंन्स में इन मैम्बरों को हाउस की रिस्पैक्ट करनी चाहिए। किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है और न ही किसी की कोई बेइज्जती करने की बात है। सारे मैम्बर आदर के योग्य हैं, सबकी इज्जत करना हमारा सबका फर्ज है। किसी तरफ से कोई जिद्द की बात नहीं होनी चाहिए। डिगनीफाई वे मैं इसके निपटना चाहिए और ठीक तरह से हाउस की कार्यवाही चलानी चाहिए ताकि हाउस की कार्यवाही ठीक तरह से चल सके। फिर आगे जो बात ठीक समझें, कर लैं।

श्री अध्यक्षः जो आखिर में प्वायंट चौधरी रिजक राम जी कहा है क्या उसके बारे में राव बीरेन्द्र सिंह जी भी कुछ कहना चाहेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): स्पीकर साहब, मुझे खु ी है कि आपने और लीडर आफ दि हाउस ने इस बात पर गौर किया है और स्वामी जी ने उसको स्पोर्ट किया है। मुझे बड़ी खु ी होती अगर आप अपने टैम्पर को ठंडा रख कर इस बात पर विचार करना भाुरू कर देते। बहर हाल इस पर काफी गर्मागर्मी हुई है आढैर इसमें कोई भाक नहीं है कि हाउस की काफी डिगनिटी गिरी है। पे तर इसके कि मैं फिर अपनी इस बात पर जोर दूं, चेयर को हर तरफ से सहयोग देने के लिये वि वास दिलाया जाना चाहिए। (विघ्न) जहां तक चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है उन्होंने अपना वि वास दिलाने की जरूरत यों नहीं समझी कि उनकी तरफ से, ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से कोई खराबा आज देखने में नहीं आया। (तालिया) एक बात जरूर हुई है कि अपोजी ान की तरफ से कुछ मैम्बरों ने जब हद से आगे बढ़ने की कोि ा ा की या चेयर के हुकम की फिलाफवर्जी की तो उसके ऊपर स्पीकर साहब, आप मुझे माफ करेंगे। अगर मैं यह कहूं कि आपने थोड़ा जल्दबाजी से काम लिया है। क्योंकि उस तरफ के कुछ मैम्बर्ज नए हैं, कुछ को ब्रिगेडियर साहब ने पूरे कायदे कानूनी अभी सिखाए नहीं हैं या बताए नहीं हैं। ब्रिगेडियर साहब यहां बैठे हैं, इनको भी तो कुछ फर्ज अपनी जमात को चलाने में होना चाहिए था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ी लीनीएन्सी बरती जाये तो भाायद इस हाउस में खराबी पैदा करने के बजाय हम कुछ बेहतर हालत पैदा कर सकते हैं। पे ातर इसके कि आप इनको बुला कर बातचीत भाुरू करें,

एक बात जरूरी है कि अपोजी ान लीडर खुद यहां पर यह वि वास दिलाने के लिए तैयार हों कि वे भविश्य में ऐसा नहीं करेंगे तब बात आगे चलनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं जरूरी समझता हूं वह यह है कि हमें भी यह बातचीत तभी भाुरू करनी चाहिए जबकि जिन मामलों का फैसला पहले हाउस ने कर दिया है उन पर अमल दरामद हो। उसके बारे में भी अभी मैं देख रहा हूं कि अपोजि ान के मैम्बर श्री गंगा राम इस समय सदन में त ारीफ फरमा रहे हैं जबकि उनको इस वक्त हाउस में नहीं होना चाहिए। मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर इस स्पिरिट से हाउस में काम करना है और सारे गुंपस की तरफ से इस बात का आ वासन मिलता है कि वे हाउस की डिगनिटी और डैकोरम को कायम रखेंगे तो जो फैसले हो चुके हैं, उन पर पहले अमल दरामद करना जरूरी हैं चौधरी रिजक राम जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन यह आपने देखना है कि वे पहले हाउस के डिसिजन की पालना करें। मैं समझता हूं कि हमें बोलने की इजाजत देने से पहले आपको यह काम कर लेना चाहिए था वरना आगे बात करनी बेकार हैं।

Mr. Speaker: I must congbratulate Rao Birender Singh on giving a very fair and balanced view of the whole subject. उन्होंने यह भी कहा कि भाायद मुझे (चेयर) से कोई जल्दबाजी हुई हो। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि

मैंने अपनी तरफ से पूरा मौका देने की कोि ा की है। लेकिन एक इंसान और दूसरे इंसान की जल्दबाजी की मिकदार में भी कुछ फर्क हो सकता हैं। मैं अपनी प्रैस्टिज पर आज तक न कभी अड़ा हूं और न ही अब अड़ना चाहता हूं। अगर मेरे से जल्दबाजी हुई है तो मैं अपनी गलती को कबूल करने के लिये सबसे पहले तैयार हूं। राव बीरेन्द्र सिंह जी ने सुझाव दिया है कि जो हाउस के फैसले हो चुके हैं, पहले उनके ऊपर अमल किया जाये और उसके बाद कन्सीलिये ान या भाई भाई को आपस में मिलने की मूव भाुरू की जाये। मैं अपनी तरफ से श्री बीरेन्द्र सिंह जी, जो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, गंगाराव जी भी मेरे बड़े मित्र हैं और चौधरी संत कंवर जी का तो कहना ही क्या वह तो मेरे छोटे भाई के बराबर हैं, उनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि they must go out for 5 minuts.

(At this stage, Savrshri Ganga Ram, Sant Kanwar and Verender Singh withdraw from the House)

Mr. Speaker: I must thank Sarvshri Ganga Ram, Sant Kanwar and Verender Singh for the co-operation, they have shown.

सदन की कार्यवाही को भाान्तिपूर्ण चलाने के लिए सुझाव

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका): स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, जो वातावरण आपकी कोआप्रे ान से, राव बीरेन्द्र सिंह के

कहने से और स्वामी अग्निवे ा के कहने से अब इस हाउस में हम देख रहे हैं, उसको सामने रखते हुए मैं खुद यह समझता हूं कि जो आपने अपील की है, उस पर अब अमल हो चुका है, इसलिये उस पर विचार कर लिया जाये। लेकिन मैं कुछ बातें इस बारे में एड करना चाहता हूं। जब चौधरी गंगा राम ने इस बात की ि ाकायत की कि उनको कागज नहीं मिले और वह ि ाकायत एक हद से बाहर बढ़ गयी मैं इस बात को खुद स्वीकार करता हूं (व्यवधान व भाोर) तो उसको देखते हुए चौधरी देली लाल जी ने उनको इ ाारा किया कि तुम बैठ जाओ। जब वे नहीं बैठे तो दलाल साहब ने उनको पकड़ कर बिठाने की कोि ा ा की। इससे साफ जाहिर है कि हमारा ऐसा कोई मन ाा नहीं था कि हमारा कोई साथी बिना किसी कारण रूकावट डाले। जब आप चैम्बर में चले गये थे तो ट्रेजरी बैंचिज ने यह कहा कि हम रूकावट डालने के लिय आये हैं। मैंने यह कहा कि जब हम डिवीजन के लिये कहते हैं तो आप उसको अपोज करते हो, आप हमारी सब बातों को अपोज कर रहे हो। पहल तो रूलिंग ग्रुप की ओर से हुई। आप ही अगर हमसे इस किसम का बीहेव करेंगे तो हमारी तरफ से अगर कोई जवाब दिया जाता है तो फिर आप बुरा क्यों मानते हैं। उनकी जबान से एक बहुत ही सीरियस बात निकली कि साहब हमारे पास तो यह रिपोर्ट आयी है कि आप आज प्रोसीडिंग्ज को ब्लाक करने के लिए आये हो। आप प्रोसीडिग्ज को चलने नहीं देना चाहते, हमारे पास तो यह रिपोर्ट

है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपना कर्त्तव्य निभाने के लिये कर रहे हैं। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः बाबू जी, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि इस समय डिटेल्ज में न जाएं (व्यवधान व भाोर)

श्री मूल चन्द जैनः क्या खुर ाीद सारह, आप मेरे ऊपर हुक्म चलाना चाहते हैं ? (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्षः अगर आप इन ब्रौड प्रिंसीपल इस मूव से जिसे राव बीरेन्द्र सिंह और स्वामी अग्निवे ा जी ने इनी ाीयेट किया है, सहमत हैं, तो मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि आप डिटेल्ज में मत जाइए। डिटेल्ज तो मैरे चैम्बर में बैठ कर डिस्कस हो सकती है। If in broad principle you approve of the move that has been initiated, then the things can be carried on (Interruptions)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, अपोजी ान का अपना रोल होता है। अगर रूलिंग ग्रुप अपोजी ान को उसका रोल अदा न करने दे और यह निर्णय करके आये कि अपोजी ान के आदमी जिन बातों को हाई लाईट करना चाहते हैं, जिनको हम स्टेट के इन्टैस्ट में समझते हैं, बे ाक वे ऐसा न समझें तो उनको और हमारा मतभेद है। फिर तो मैं समझता हूं (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: I must interrupt you. You are again going into the details.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, अगर मामले की तह में जोय बगैर हम आपके चैम्बर में जायेंगे तो बात तो वही रहेगी। प्वायंट यह कि रूलिंग ग्रुप0 एक एजेण्डा हमारे सामने लाया। वह एजेन्डा उनके हिसाब से स्टेट के इन्ट्रैस्ट में है। हम उस एजेन्डे को स्टेक के इन्ट्रैस्ट में नहीं समझते। तो हम तो उसको अपोज करेंगे क्योंकि हम उनसे डिफर करते हैं।

श्री अध्यक्षः बाबू जी, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में सब पार्टीज के रिप्रेजैन्टेटिवज थे, जहां एगी हुआ है। It is not the Government that has brought the business before the House. I do not agree with you on this point.

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट क्लीयर नहीं हुआ। एजेन्डा आ गया, लेकिन एजेन्डे में जो आईटम्ज हैं, उन आईटम्ज के बारे में रूलिंग गुप तो यह समझता है कि वे स्टेट के इन्ट्रैस्ट में हैं, लेकिन हम यह समझते हैं कि जो आईटम्ज वे ला रहे है और जिसको वे तूफान की तरह से पास कराना चाहते हैं, वह स्टेट के इन्ट्रैस्ट में नहीं है। (व्यवधान एवं भाोर) आप तो मुझे बोलने भी नहीं देते। आपकी तरफ से चौधरी रिजक राम जी बोल लिये और स्वामी जी भी बोल लिये। मुझे तो पांच मिनट दिये गये हैं। लेकिन आप मुझे पांच मिनट तक भी बोलने नहीं देना चाहते। (व्यवधान एवं भाोर) स्पीकर साहब, यह तो आपके जिले के हैं। मैं चौधरी खुर ाीद अहमद के ख्याल कहां से लाऊं ? ये तो बहुत ज्यादा अकलमन्द हैं।

श्री अध्यक्षः मेरा तो महेन्द्रगढ़ जिला है और यह गुड़गांवा जिले के हैं। वैसे मुझे इन्को अपने जिले में मिलाने में कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

श्री मूल चन्द जैनः जो असैन्स आफ दी मैटर है, वह यह है कि जैसे मैंने कहा कि रूलिंग ग्रुप का अपना पार्ट इस हाउस में भी है और इस स्टेट में भी है। अपोजी ान का अपना पार्ट हैं इनको तो यह भाक है कि हम प्रोसीडिंग्ज को ब्लाक करने के लिये यहां पर आये हैं। हमें यह भाह है कि जो हमारा पार्ट है, वह ये लोग हमें अदा नहीं करने देना चाहते। ये लोग हमें ब्लाक करना चाहते हैं ताकि हम कुछ बोलें नहीं, कोई बात न कहें कोई एडजर्नमैंट मो ान दें तो उसको चलने न दें। हम यदि कोई काल अटैन्ा ान मो ान दें तो उसको न चलने दें, कहने का मतलब यह है कि जो भी कार्यवाही हम यहां पर लाना चाहें, उसको न चलने दिया जाये। (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, जहां तक हमारी कोआप्रे ान का ताल्लुक है, लीडर आफ दि अपोजी ान को नेम करना मेरी राय में एक बहुत बड़ी गलती थी। (ाोर व व्यवधान)

एक आवाजः वह अब लीडर आफ दि अपोजी ान कहां हैं ? (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः बाबू जी, देखिए अब आप मेरी रूलिंग को क्रिटीसाईज कर रहे है ? नेम मैंने किया है। अगर आप मेरी रूलिंग को क्रिटीसाईज कर रहें हैं then I am sorry. If you do not

want to proceed with conciliation move then the responsibility is yours. Let us drop it.

श्री मूल चन्द जैनः मैं यह कहना चाहता था कि उन्होनें इतना कोआप्रे ान दियसा कि जब आपने उनको नेम किया तो वे हाउस को छोड़ कर चले गये। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आपकी समझ में कुछ किया होगा लेकिन मेरी समझ में तो इतना किया है कि मैंने जो रूलिंग दी हैं, उसको इम्पलीमैंट किया है। (व्यवधान व भाोर)

श्री मूल चन्द जैनः मैं यह कह रहा था कि नेम होने के बाद चौधरी देवी लाल इस हाउस से चले गये। इससे ज्यादा कोआप्रे ान और क्या हो सकती है। इसके बावजूद भी अगर रूलिंग ग्रुप इसी तरीके से चलना चाहे तों इनकी मर्जी। हमारी डिफरैन्ट पार्टी है। हम इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकते। इसलिये हमारा जो प्वायंट है कि अगर वह इस स्पिरिट में हमारा जो पार्ट हैं, उसको अदा करने दें तब तो आपके चैम्बर में बात करने का कोई फायदा हैं वरना मेरी राय में कोई फायदा नहीं है।

Mr. Speaker: It is unfortunate. मेरे ख्याल में एक बहुत बेहतरीन मूव इनी ाीयेट की गई थी सरकार ने और राव बीरेन्द्र सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से कोआप्रे ान दी। इसलिये मैं एक दफा फिर अपील करना चाहता हूं to both the leaders and Sh. Mool Chand Jain, who is, I assume, a senior member in the group, that the details can be discussed later. If you are

ready for this move please tell in two words. पहले ही कंडी ान्ज रखने का मतलब नहीं है। वहां पर बैठ कर बात कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही कंडी ानन्ज लगा देंगें तो आगे बात चलने वाली नहीं है। (व्यवधान व भाोर) मैंने अपनी रिक्वैस्ट पर, स्पीकर के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त होने के नाते तीन दोस्तों को हाउस से बाहर भेजा था। अगर मैं उनको पर्सनल रिक्वैस्ट न करता तो भाायद वे हाउस से बाहर जाने के लिए तैयार न होते। (विघ्न) इसलिये जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक आगे कार्यवाही कैसे चल सकती है।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, हमसे अब नेकचलनी की जमानत मांगी जा रही है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आपसे नहीं, सबसे मांगी जा रही है।

श्री लछमन सिंहः जी हां, आपोजी ान बैंचिज से इस बात की जमानत मांगी जा रही है कि हम अपनी नेकचलनी का सबूत दें, कौन सा हमने ऐसा एक ान किया है जिसके आधार पर यह जमानत मांगी है। भाक तो हम पर पहले ही करते हैं फिर गाड़ी कैसे आगे चलेगी ? हमारे ट्रैजरी बैंचिज वाले भाई अगर यह चाहते हैं कि हम सब बाहर निकल जायें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। हम इनको अच्छे अच्छे सुझाव देंगे और स्टेट के इन्ट्रैस्ट की बात करेंगे। इन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, यह तो गलत बात है।

बैठक समय बढ़ाना

Mr. Speaker: I will once again make an attempt to initiate the conciliation move:-

If it is the sense of the House, the time of the sitting be extended by one hour i.e. from 6.30 p.m. to 7.30 p.m.

(Voice: Yes**)**

Mr. Speaker: The sitting is extended for one hour.

सदन की कार्यवाही को भाान्तिपूर्वक चलाने हेतु समझौता–वार्ता के लिए बैठक का निलम्बन

Mr. Speaker: I will request the leader of the House, Rao Birender Singh Sh. Mool Chand Jain, Ch. Devi Lal, if he is available and Swami Agrivesh, who is the initiator of this move, to come to my Chamber for talks.

I adjourn the House for Half-an-hour.

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 6.14 p.m.)

सचिवः मैम्बर साहेबान, मैं आपको स्पीकर साहब का आदे ा कनवे कर रहा हूं कि वे दस मिनट में त ारीफ लाएंगे इसलिए हाउस 6ण्25 बजे तक एडजर्न किया जाता है (व्यवधान)।

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 6.25 p.m.)

सभा का स्थगन

श्री अध्यक्षः हाउस की कार्यवाही भाान्तिपूर्वक चलाने के लिए जो कंसीलिये ान की मूव स्टार्ट की गई थी, उस पर बड़ी फ्रैंक ओ अच्छी डिस्क ान हुई लेकिन मुझे खेद है कि उसका कोई फ्रूटफुल परिणाम नहीं निकला। इसलिए अब हाउस की कार्यवाही आगे चलेगी।

Now the Haryana Board of School Education (Amendment) Bill, 1979, will be introduced.

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः क्या आपका प्वायंट आफ आर्डर इसी बिल से सम्बन्धित है ? (ाोर)

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी पार्टी के लीडर साहेबान भी नहीं आये हैं। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आपकी पार्टी के लीडर अभी तक नहीं आये हैं, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

आवाजें: स्पीकर साहब, जो मैम्बर साहैबान बाहर गये थे, उनको तो आप बुला लीजिए। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: वे मेरी परसनल अपील पर बाहर गये थे इसलिये मैं उनका भाुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो हाउस ने रेजोल्यू ान पास किया हैं, उनके विरूद्ध जाकर, उनको इनवाइट नहीं कर सकता। (व्यवधान व भाोर)

(इस समय सर्वश्री संतकंवर, गंगाराम व वीरेन्द्र सिंह सदन में आ गये)

आवाजें: स्पीकर साहब, ये फिर हाउस के अन्दर आ गये हैं, इनको बाहर निकाला जाएं। जब तक ये हाउस से बाहर नहीं जाते, आगे कार्यवाही कैसे चल सकती है ? (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान इन हालात को देखते हुए बजाये इसके कि हाउस को आगे चलाया जाए, मैं हाउस को कल सवेरे 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न करता हूं।

18.26 बजे

(The Sabha Then adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 25th September, 1979)